छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 54 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 14 फरवरी 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

पसली टूटी, छाती में भरा खून, सड़ गई आंत, पेट के रास्ते बनाना पड़ा मलद्वार

महिला की डॉक्टरों ने बचाई जान, चाबी निकालते समय ट्रेक्टर स्टार्ट होने से पेड़ से हुई थी टक्कर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जन चिकित्सकों ने दो ऐसी महिलाओं को नया जीवन प्रदान किया, जिनकी हालत काफी खराब थी। परिजनों के पास अस्पताल में इलाज के बीच चिकित्सकों से इन्हें बचा लेने की मिन्नतें करने और भगवान को याद करने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं था। पीड़ित महिलाओं के प्राणरक्षा और उन्हें हो रही पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए चिकित्सकों की टीम ने हरसंभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया। दोनों महिलाओं की सर्जरी की और पूरी तरह से स्वस्थ्य होने के बाद इनकी अस्पताल से छुट्टी कर दी।

जानकारी के मुताबिक सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला अंतर्गत ग्राम इन्दरपुर रामानुजगंज की रूकमणि (39) को 25 जनवरी को गंभीर स्थिति में स्वजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे थे। ट्रेक्टर की पेड़ से हुई टक्कर में महिला के सीने की पसली दोनों तरफ टूट गई थी, और छाती में खून भर गया था, आंत सड़ गया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने आवश्यक जांच कराने के बाद सबसे पहले छाती में भरे खून को निकाला, और सर्जरी करके टूटी हुई पसलियों को जोड़ा। इस दौरान बड़ी आंत निकालने की नौबत बन गई। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने महिला के पेट के रास्ते से नया मलद्वार बनाया, जिससे शौच की समस्या दूर हुई। लगभग तीन घंटे चली सर्जरी के बाद चिकित्सकों ने महिला को निगरानी में रखा था। पूरी तरह से खुद को स्वस्थ्य महसूस करने पर चिकित्सकों ने आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह देकर महिला की छुट्टी कर दी। ऑपरेशन में सर्जरी विभाग से डॉ. पी.आर. शिवहरे, डॉ. मनोज भारती, डॉ. आनन्द कुमार, डॉ. इन्द्र नील सहयोगी टीम के साथ शामिल रहे।

पीड़ित महिला की ऐसे टूटी थी पसली

रूकमणी अपने पति के साथ घटना दिनांक को ट्रेक्टर में सवार होकर खेत गई थी। इसके बाद पति खेत में काम करने के लिए चले गया और खेत के पास खड़ी से चाबी निकालने के लिए पत्नी को कहा। चाबी निकालते समय पत्नी दाहिने ओर चाबी घुमा दी, जिससे ट्रेक्टर आगे बढ़ते हुए पेड़ से टकरा गई। पति जब तक दौड़ते ट्रेक्टर तक पहुंच पाता, उसकी पत्नी की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। आनन-फानन में स्वजन उसे क्षेत्रीय अस्पताल ले गए, हालत काफी खराब देखकर महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर रवाना हो गए थे। यहां इलाज के बाद महिला को राहत मिली और स्वजन उसे घर लेकर रवाना हो गए।

सुशीला के जांघ से निकला 2 किलो का गोला, कैंसर का ले लिया था रूप

जशपुर जिला के सन्ना की सुशीला (59) के दाहिने जांघ में तकलीफ को लेकर सात वर्ष से परेशान थी। स्वजन उसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे। महिला जहां एक ओर काफी कमजोर प्रतीत हो रही थी, वहीं जांघ में असहनीय पीड़ा होने का आभास हो रहा था। स्वजन की सहमति से चिकित्सक ने महिला को भर्ती करके आवश्यक उपचार शुरू किया। जांच के दौरान पता चला कि उसके जांघ में गोला है, जो कैंसर का रूप ले लिया है। शरीर में हीमोग्लोबीन की मात्रा 3 ग्राम रहने के कारण इलाज के दौरान उसे सात यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, जिससे महिला की स्थिति में कुछ सुधार आया, और सर्जरी की तैयारी की गई। सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने उसके जांघ से दो किलो वजनी गोला निकाना, जिसे बायप्सी के लिए लैब में दिया गया है। सर्जरी करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि जांघ का गोला अंदर-अंदर शरीर के नस तक फैल गया था, जिसे बचाते हुए जटिल सर्जरी करनी पड़ी। पूरी तरह से स्वास्थ्य में सुधार बताने पर चिकित्सकों ने महिला की छुट्टी कर दी है।

सड़क हादसों में 5 की मौत, कई घायल

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। राजधानी के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित विधानसभा रोड पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक और साइकिल सवार पति-पत्नी तीनों दूर जा गिरे। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो तीनों सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। गंभीर चोटों के कारण तीनों ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला।

दूसरी घटना कोरबा के कटघोरा की है, जहां किसी अज्ञात गाड़ी ने ओवरटेक के दौरान दो कारों को टक्कर मारी। घटना में दोनों कारें डिवाइडर से जा टकराई। इसमें एक कार में सामने बैठे 2 लोगों की मौत हुई है। जबकि अन्य 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मोरगा चौकी इलाके की है।

बाइक ने पति-पत्नी को मारी टक्कर, 3 मौतें

जानकारी के मुताबिक, 12 फरवरी की रात शुभम यादव (28) अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 क्यूएल 7361 में दोस्त लव के साथ रायपुर से अपने घर मांढर जा रहा था। बरौदा के आगे रात करीब 8 बजे अंधेरे में साइकिल सवार पति-पत्नी आ रहे थे। इसी दौरान दोनों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चारों दूर फेंका गए। खून से लथपथ होकर सभी तड़पने लगे। बाइक सवार दोनों दोस्तों को पास के लक्ष्मीनरायण अस्पताल ले जाया गया, जहां से शुभम को बालाजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि दोस्त का इलाज जारी है। वहीं, साइकिल सवार टेकारी निवासी भोजराम विश्वकर्मा (58) और उसकी पत्नी प्यारी विश्वकर्मा (53) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया है।

कोरबा में ओवरटेक के दौरान हादसा

कोरबा के केंदई नेशनल हाईवे पर झरना मोड़ के पास 12 फरवरी की रात करीब 12 बजे एक अज्ञात वाहन ओवरटेक के दौरान दो कारों को जबरदस्त टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। तभी दोनों कारें डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि, दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। दोनों गाड़ियों के एयरबैग खुल गए थे। इसमें आल्टो कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि अल्टो कार में चार लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये सभी कोरबी क्षेत्र सरमा गांव के रहने वाले थे। मदनपुर गांव रिश्तेदार के यहां गए थे, लौटते समय हादसा हुआ। मृतकों में इंद्रजीत गोड़ और धनपत यादव शामिल है। दूसरी कार में तीन लोग सवार थे, जिनमें 2 गंभीर हैं।

ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों पर 20 हजार अर्थदंड

बतौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करके मामला न्यायालय में किया था पेश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली थाना पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले में की गई कार्रवाई में वाहन चालकों को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से न्यायालय ने दण्डित किया है। पुलिस ने शराब का सेवन करके वाहन चलाने पर कार्रवाई की थी।

बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बजाज पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 डीसी 5266 के चालक खेमलाल सिदार पिता हृदय साय सिदार 35 वर्ष निवासी बालक पोड़ी थाना कापू जिला रायगढ़ एवं एचएफ डीलक्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 डीजेड 2946 के चालक टिकेश्वर बीसी पिता हृषिकेश बीसी 38 वर्ष निवासी गुजरवार थाना लुन्ड्रा को ब्रेथ ऐनालाइजर से मौके पर चेक किया तो दोनों शराब के नशे में धुत्त होकर वाहन चलाते पाए गए। वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज करके दोनों मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों में वाहन चालकों को पृथक-पृथक 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, रविश लकड़ा, आरक्षक राजू कुजूर, जोगी बड़ा, राजेश खलखो, संतोष बरवा, विकास एक्का सक्रिय रहे।

मैनपाट महोत्सव सरगुजा जिले की संस्कृति और अस्मिता को प्रदर्शित करने का है माध्यम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का किया शुभारंभ

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ किया, और सभी को मैनपाट महोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पहले मैनपाट महोत्सव में आना हुआ था, इस साल महोत्सव में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। समारोह में भव्यता दिख रही है, मैनपाट महोत्सव को हर वर्ष मनाया जाएगा। सभी से चर्चा करके आयोजन के लिए एक तिथि निर्धारित करेंगे। दो वर्ष पहले मैनपाट महोत्सव हेतु 50 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था, आने वाले समय में समारोह की और भव्यता के लिए सरकार चिंता करेगी। मुख्यमंत्री का तिब्बतियों ने तिब्बती संस्कृति पर आधारित 'ताशी शोपा' नृत्य के साथ आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।

मुख्यमंत्री ने कहा सरगुजा की संस्कृति, अस्मिता को दिखाने का माध्यम यह समारोह है। आने वाले समय में यहां की संस्कृति से देश दुनिया परिचित होगी। बाहर से आने वाले एवं स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खाते में एक हजार हर महीने आता है, 15 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये उनके खाते में जा चुका है। तेंदूपत्ता की कीमत 4 हजार से साढे 5 हजार मानक बोरा कर दिया गया है। 5 हजार से ज्यादा लोग रामलला दर्शन का लाभ ले चुके हैं। धरती आबा उत्कर्ष योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, उसे धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। बस्तर पिछले 40 साल से ज्यादा समय तक आंतकवाद का दंश झेल रहा था। दो साल में प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह क्षेत्र नक्सवाद से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश के जवानों के साहस को नमन करता हूं। 75 प्रतिशत से ज्यादा नक्सलवाद का हिस्सा छत्तीसगढ़ में बचा था, सरकार नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले आई है। प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करना है। इस बार पहली बार 43 गांव में गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। छत्तीसगढ़ में नियद नेल्लानार के माध्यम से सुदूर 4 सौ से ज्यादा गांव विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हम नई उद्योग नीति भी लाए हैं, इसकी सराहना पूरे देश-विदेश में हो रही है, नई उद्योग नीति को लांच हुए एक वर्ष हुए हैं, 8 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव है। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, महापौर मंजूषा भगत, निगम के सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी सहित जनप्रतिनिधि, संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, डीएफओ अभिषेक जोगावत, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, आमजन उपस्थित रहे।

पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर हो रहा विकास-राजेश अग्रवाल

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और नई संभावनाओं के सृजन की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मैनपाट जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। होम-स्टे, होटल व्यवसाय, स्थानीय हस्तशिल्प, परिवहन सेवाएं और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों के माध्यम से पर्यटन स्थलों के उन्नयन, सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार सृजन को और अधिक गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

मैनपाट महोत्सव जन-गौरव का उत्सव-रामकुमार टोप्पो

सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने कहा कि आज का दिन केवल एक उत्सव का शुभारंभ नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति प्रेम का महोत्सव है। मैनपाट महोत्सव जन-गौरव का उत्सव है, जहां प्रकृति ने स्वयं इस धरती को अद्भुत सौंदर्य से सजाया है। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर क्षेत्र को नई सौगातें दी गई हैं। इन कार्यों से स्थानीय व्यापारियों, युवाओं और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिला है तथा क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिली है। विधायक ने क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विकास कार्य मैनपाट की प्रगति और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा।

महोत्सव से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा-प्रबोध मिंज

लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। इन कार्यों से मैनपाट में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। स्थानीय युवाओं, व्यापारियों और ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित होंगे। विधायक ने आगे कहा कि इस तीन दिवसीय महोत्सव से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही क्षेत्र की संस्कृति को नई पहचान मिलेगी।

हितग्राहियों को सामग्रियों का किया वितरण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 हितग्राहियों को चेक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को आवास की चाबी प्रदान किया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्रायसिकल एवं 2 दिव्यांगजनों को ट्रायसाइकिल, कृषि विभाग द्वारा शाकम्भरी योजनांतर्गत 16 हितग्राहियों को पम्प एवं 10 हितग्राहियों को चेप कटर वितरित किया गया।

523 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

मैनपाट महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में विकास को नई गति देते हुए कुल 523 करोड़ 20 लाख 53 हजार रुपये के 109 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 429 करोड़ 11 लाख 40 हजार रुपये की लागत के 81 कार्यों में कार्यपालन अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 02 कार्य लागत कुल 7.6800 करोड़, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग के 04 कार्य लागत कुल 30.8700 करोड़, आयुक्त नगर पालिक निगम के 02 कार्य लागत कुल 17.0100 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के 51 सड़कों का निमार्ण कार्य कुल लागत 168.2115 करोड़, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग के 15 सड़क निर्माण कार्य कुल लागत 184.1800, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग के 03 भवन निर्माण कार्य कुल लागत 3.0200, सहायक आदिवासी विभाग के 03 कार्य लागत कुल 6.1188 करोड़ के शामिल हैं। वहीं 94 करोड़ 9 लाख 13 हजार की लागत के 28 कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 के कार्य 10 कार्य कुल लागत 39.2410 करोड़, नगर पालिक निगम के नवीन कार्यालय भवन निर्माण 8 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 06 कार्य कुल लागत 2.7647 करोड़, लोक निर्माण (भ/स) संभाग के 03 सड़क निर्माण कार्य कुल लागत 11.1700 करोड़, लोक निर्माण (भ/स) संभाग के 06 भवन निर्माण कार्य कुल लागत 28.50 करोड़, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के 02 कार्य कुल लागत 4.4156 करोड़ रुपये की लागत के शामिल हैं।

ग्राम स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन से साकार होगा विकसित भारत का संकल्प : नेताम

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रदेश के आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन एवं पशुधन विकास विभाग मंत्री श्री रामविचार नेताम के उपस्थिति में जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर में विकसित भारत के संकल्प को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि मंत्री श्री नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हो। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने जल संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपनी कार्ययोजना में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कार्यशाला में मिशन अंतर्गत ग्राम स्तर पर ठोस एवं व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों द्वारा जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन, अधोसंरचना विकास, ग्रामीण आजीविका सृजन, आपदा निवारण एवं सामुदायिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। साथ ही बताया गया कि (वीबी जी राम जी) के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास किए जाएंगे।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री मुंद्रिका सिंह, उपाध्यक्ष श्री सुनील तिवारी, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य श्री भानुप्रकाश दीक्षित, गणमान्य नागरिक श्री सीताराम गुप्ता, श्री प्रमोद गुप्ता, श्री नारद गुप्ता एवं श्रीमती शर्मिला गुप्ता सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज आनंद नेताम, जनपद सीईओ रणवीर साय सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

वाड्रफनगर व रघुनाथनगर क्षेत्र में लगभग 30 लाख ईंट जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशानुसार राजस्व एवं संयुक्त टीम के द्वारा जिले में अवैध ईंट भट्टों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर श्री नीरनिधि नंदेहा के नेतृत्व में राजस्व एवं संयुक्त टीम ने ग्राम रामनगर एवं पंडरी में संचालित अवैध ईंट भट्टों पर कार्यवाही की। अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर एवं तहसीलदार वाड्रफनगर की संयुक्त टीम द्वारा 12 ईंट भट्टों से लगभग 22 लाख अवैध रूप से निर्मित ईंट जब्त किया गया। इसी प्रकार तहसीलदार रघुनाथनगर द्वारा 4 ईंट भट्टों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 8 लाख ईंट जब्त की है।

कंदरई में 41 वां श्री रुद्र महायज्ञ 18 फरवरी से

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत कंदरई स्थित गहिरा पति मंदिर आश्रम में विश्व कल्याण और सनातन धर्म की अभिवृद्धि हेतु 41 वां श्री रुद्र महायज्ञ भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। 18 फरवरी से शुरू होने वाले इस चार दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान को लेकर संत समाज और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

आयोजन समिति सनातन धर्म संत समाज गहिरा द्वारा बताया गया कि यह महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सद्भाव के प्रसार का एक विराट प्रयास है। यज्ञ स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम का शुभारंभ 18 फरवरी बुधवार को भव्य कलश यात्रा से होगा। 19 फरवरी गुरुवार को वैदिक विधि-विधान से यज्ञारंभ होगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे याज्ञिक विप्रों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाएंगी। 20 फरवरी शुक्रवार को याज्ञिक विप्रों द्वारा विशेष आशीर्वचन दिया जाएगा। इस दिन धर्म, संस्कृति और समाज निर्माण पर प्रवचन होंगे। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सत्संग, लीला संकीर्तन और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। 21 फरवरी शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे पूर्णाहुति, त्रायुषिकरण एवं कलश जल सेचन कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके पश्चात विशाल प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का आग्रह किया है। आयोजन समिति के अनुसार 41 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह महायज्ञ क्षेत्र की आध्यात्मिक पहचान बन चुका है। हर वर्ष दूर-दराज के गांवों से श्रद्धालु यहां पहुंचकर यज्ञ में भाग लेते हैं। इस बार भी कंदरई आश्रम में चारों दिन भक्ति, श्रद्धा और संस्कारों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से सपरिवार उपस्थित होकर यज्ञ में सहभागिता निभाने और विश्व कल्याण की कामना के इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने की अपील की है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान : सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने संयुक्त प्रशिक्षण संपन्न

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करना, समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना तथा लक्षित समूहों तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना था।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने कहा कि एनीमिया मुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों का आपसी समन्वय और प्रतिबद्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं को आयरन-फोलिक एसिड की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही दवा वितरण, उपभोग और प्रगति की शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग करने को कहा। डॉ. सिंह ने एनीमिया के कारण, लक्षण, दुष्प्रभाव एवं बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित आयरन-फोलिक एसिड सेवन तथा समय पर जांच के माध्यम से एनीमिया पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर एनीमिया के दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए जन-जागरूकता बढ़ाने की बात कही।

प्रशिक्षण सत्र में श्री दिव्य किशोर गुप्ता ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए प्रमुख घटकों, एनीमिया की पहचान, रोकथाम एवं उपचार, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण, गर्भवती महिलाओं, किशोर-किशोरियों एवं बच्चों में हीमोग्लोबिन जांच, पोषण परामर्श, कृमिनाशक दवा सेवन तथा व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लक्ष्य समूह आधारित रणनीति, माइक्रोप्लानिंग, दवा उपलब्धता, स्टॉक प्रबंधन तथा ऑनलाइन-ऑफलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली पर भी व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रशिक्षण के अंत मे सभी विभागों ने आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले में एनीमिया की दर में कमी लाने तथा एनीमिया मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी तथा खंड कार्यक्रम प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मनाया जा रहा वजन त्यौहार

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण स्तर की नियमित निगरानी एवं कुपोषण उन्मूलन के उद्देश्य से जिले के सभी परियोजनाओं में वनज त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है।

इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापकर उनकी वृद्धि की स्थिति का आंकलन किया गया। वनज त्यौहार के तहत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का वजन मशीन से सही तरीके से मापन कर वृद्धि चार्ट में दर्ज किया गया। इसके साथ ही बच्चों की ऊंचाई एवं आयु के अनुरूप विकास की स्थिति का भी आकलन किया गया। जिन बच्चों में कम वजन या वृद्धि में कमी पाई गई, उनके अभिभावकों को विशेष परामर्श दिया गया तथा आवश्यकतानुसार पोषण आहार एवं स्वास्थ्य जांच के लिए चिन्हांकित किया गया। इस दौरान अभिभावकों को जानकारी दी गई की नियमित वृद्धि निगरानी से समय रहते कुपोषण की पहचान कर प्रभावी उपचार एवं परामर्श दिया जा सकता है, जिससे बच्चों का समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों द्वारा माताओं को संतुलित आहार, घर पर उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों के उपयोग, स्वच्छता, स्तनपान एवं अनुपूरक आहार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

एनसीईआरटी पुस्तक से करें अंतिम रिवीजन : प्राचार्य

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 17 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। इसे लेकर डीएवी पब्लिक स्कूल बिश्रामपुर की प्राचार्य अनामिका भारती ने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। प्राचार्य ने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा को बोझ न समझें और न ही घबराएं। आत्मविश्वास के साथ पूर्ण एकाग्रता से प्रश्नपत्र हल करें। उन्होंने अंतिम समय में एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहन एवं बारीकी से रिवीजन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्रों में लगभग 50 प्रतिशत प्रश्न योग्यता एवं अवधारणा आधारित होंगे, इसलिए विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट स्पष्ट होना और नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन अध्यायों का अध्ययन अब तक नहीं किया गया है, उन पर समय व्यर्थ करने के बजाय तैयार किए गए अध्यायों पर ध्यान केंद्रित करें। परीक्षा के दौरान देर रात तक जागने से बचें, पर्याप्त नींद लें तथा हल्का और पौष्टिक भोजन करें, ताकि स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।

प्राचार्य ने बताया कि सीबीएसई की नई गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 10 वीं के सामान्य विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान प्रश्नपत्रों को हल करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी जानकारी विद्यार्थियों को दे दी गई है। विद्यार्थियों उन्होंने आह्वान किया है कि सभी छात्र-छात्राएं परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। निर्धारित यूनिफॉर्म में आएं तथा एडमिट कार्ड, पेन-पेंसिल आदि सामग्री पारदर्शी बैग में रखें। प्रश्नपत्र को पहले ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें और आसान प्रश्नों को प्राथमिकता से हल करें। अंत के दस मिनट उत्तरपुस्तिका की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य करें।

5 लाख अवैध ईंटें की गई जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रशासन द्वारा जिले में अवैध संचालित ईंट भट्ठों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में विकासखण्ड शंकरगढ़ एवं कुसमी अंतर्गत अवैध रूप से संचालित ईंट निर्माण गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख अवैध कच्ची ईंटें जब्त की गई हैं।

कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं अनुविभागीय शंकरगढ़ श्री विवेक अनमोल टोप्पो के नेतृत्व में तहसीलदार शंकरगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप अवैध कच्चा ईंट लगभग 50 हजार को जब्त कर कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी कुसमी श्री करूण डहरिया के नेतृत्व में तहसीलदार कुसमी के द्वारा ग्राम पंचायत कमलापुर, जवाहरनगर में संतोष, कुलदीप, जयशंकर, बिधना, जवाहर के द्वारा अवैध रूप से ईंट भट्ठे स्थापित कर 4 लाख 50 हजार ईंट निर्मित किया जाना पाया गया।

चार नंबर लाइन पर रैक प्लेसमेंट से बढ़ी परेशानी, परिवहनकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिश्रामपुर स्टेशन में रेल प्रबंधन द्वारा निर्माणाधीन रैक प्वाइंट में पिछले दो ढाई महीने से गुड्स लोडिंग अनलोडिंग का कार्य शुरू कर देने से परिवहनकर्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। वर्तमान में रेल प्रबंधन द्वारा स्टेशन यार्ड के लाइन संख्या 4 पर रैक प्लेसमेंट किए जाने से उत्पन्न समस्याओं को लेकर परिवहनकर्ताओं एवं संबंधित पक्षों ने मुख्य स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वर्तमान व्यवस्था को आर्थिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर बताया गया है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जब लाइन संख्या 1 खाली उपलब्ध रहती है, तब भी मालगाड़ी को लाइन संख्या 4 पर खड़ा किया जा रहा है। इससे कार्य प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों को अनावश्यक जोखिम उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लाइन संख्या 4 तक पहुंचने का मार्ग कच्ची सड़क अंबेडकर चौक के पास से होकर गुजरता है, जहां रेलवे फाटक प्रतिदिन लगभग 15 बार बंद होता है। इस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और परिवहन कार्य में विलंब होता है। इससे वैगन क्लियरेंस में देरी होने के साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। परिवहनकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि लाइन संख्या 4 तक पहुंचने के लिए तीन रेलवे लाइनों को पार करना पड़ता है, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण है और कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। वहीं इस लाइन पर न तो पल्लेदारों सहित कर्मियों के लिए जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था है और न ही शेड की सुविधा उपलब्ध है। पानी पीने या भोजन करने के लिए बार-बार मेन लाइन को पार कर जाना पड़ता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा लाइन संख्या 4 तक जाने वाला मार्ग ऊबड़-खाबड़ और कच्चा है। ट्रकों के आवागमन से उड़ने वाली धूल से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जब लाइन संख्या 1 उपलब्ध हो तो भरे हुए वैगनों को उसी पर प्लेस किया जाए, ताकि कार्य सुरक्षित, सुचारू और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सके। कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन से शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जताई है। ज्ञात हो कि रेल प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त कमाई के चक्कर में बिश्रामपुर स्टेशन के सामने दूसरे क्षोर में एसईसीएल के लीज एरिया में जबरन रैक प्वाइंट बना दिया गया है, उक्त रैक प्वाइंट जो पहले के रैक प्वाइंट के मरम्मत कार्य के दौरान विकल्प के रूप में तैयार किया था, जिसे अब वह अब नियमित और मनमानी तरीके से उपयोग कर रहा है। बिना पक्की पिचिंग किए और बिना सड़क और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराए बगैर मनमानी तरीके से रैक प्वाइंट को शुरू कराने से रैक लोडिंग अनलोडिंग समेत वाहनों के आवाजाही से उड़ने वाले धूल से पूरा स्टेशन परिसर रेलवे कॉलोनी सहित आसपास का इलाका दिन भर धूल के गुब्बार से सना रहता है। रेल प्रबंधन के इस मनमानी रवैए के खिलाफ रेलवे कॉलोनी, स्टेशन मोहल्ला उद्वेलित है और जल्द ही रेल प्रबंधन के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

सपनों को पूरा करने की राह बनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, दिव्यांग बेटियों के जीवन में खुशियों की सौगात

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उन बेटियों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है, जिनके जीवन में आर्थिक अभाव और शारीरिक चुनौतियों के कारण विवाह एक सपना ही रहा जाता है। ऐसी ही जिले के तीन दिव्यांग बेटियों की कहानी है जिनका जीवन नई दिशा पा सका।

जिले के विकासखंड वाड्रफनगर के अंतर्गत रहने वाले दिव्यांग युवती शांति ने भी अपने जीवन में दुल्हन बनने का सपना देखा था। लेकिन शांति ने बचपन से शारीरिक बाधाओं का सामना करते हुए जीवन की राह तय की। शांति बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति, सीमित आय के कारण विवाह का सपना अधुरा सा लगने लगा था। परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण माता-पिता के लिए विवाह की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था।

इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में जानकारी मिली। ग्राम पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से उनका पंजीयन किया गया और इनका विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक विवाह समारोह में जब शांति दुल्हन के रूप में सजी तो परिवार में सभी खुशी से भावुक हो गए। वैदिक मंत्रोच्चार विधि-विधान के साथ शांति ने सात फेरे लेकर नव वैवाहिक जीवन में कदम रखा। शांति ने भावुक होकर कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उन बेटियों के जीवन में खुशियां भरी हैं। जिनके सपने आर्थिक अभाव के कारण अधुरे रह जाते है। शांति ने योजना के लिए धन्यवाद देते हुए शासन एवं प्रशासन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

समारोह में दो अन्य दिव्यांग जोड़ों का भी विवाह संपन्न हुआ। जिसमें एक जोड़े हिंदू रीति-रिवाज अनुसार मंत्रों के उच्चारण और एक जोड़े का ईसाई नियमानुसार पादरी ने विवाह संपन्न कराया।

फेयरवेल में वाहनों से खतरनाक स्टंट, कार्रवाई के बाद दो एएसआई का तबादला

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। डीएवी पब्लिक स्कूल बिश्रामपुर में गत दिनों कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों के फेयरवेल कार्यक्रम के बाद नगर में लग्जरी चार पहिया वाहनों से निकाली गई रैली और खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। मामले में कार्रवाई करने वाले दो एएसआई का तबादला कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 9 फरवरी को फेयरवेल पार्टी के बाद कुछ छात्रों ने लग्जरी वाहनों के साथ नगर में रैली निकाली थी। इस दौरान नाबालिग छात्र वाहनों की खिड़कियों और छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते नजर आए थे। रैली एनएच 43 से होकर गुजरी और छात्रों द्वारा बनाए गए वीडियो व रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद बिश्रामपुर पुलिस सक्रिय हो घेराबंदी कर पांच वाहनों समेत नाबालिगों को थाने ले आई। वाहनों के थाने पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर मामले में हस्तक्षेप की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने नियमानुसार सभी वाहनों पर अर्थदंड की कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक बढ़ते दबाव के बीच दो वाहनों को अर्थदंड लेकर छोड़ा गया शेष वाहनों को न्यायालय पेश किया गया। दो वाहनों को न्यायालय पेश करने की बजाय अर्थदंड लेकर थाने से ही छोड़ने पर कथित रूप से नाराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीआई के अवकाश पर होने के दौरान थाना प्रभारी का दायित्व संभाल रहे एएसआई विशुन देव पैकरा का तबादला मोहरसोप कर दिया, जबकि एएसआई अविनाश सिंह को भैयाथान स्थानांतरित कर दिया है। दोनों पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर नगर में दिनभर चर्चा होती रही।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने नक्सली विरोधी अभियान के दो साल के कार्यकालबी की दी जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबल के जवान लगातार सर्चिंग अभियान चला रहा है।राज्य उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय शर्मा ने अपने दो साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी।इस दौरान उन्होंने नक्सली विरोधी अभियान में मारे गए, सरेंडर करने वाले माओवादियों की जानकारी दी।डेप्युटी सीएम विजय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में जनवरी 2024 से अब तक 532 नक्सली मारे गए हैं। 2004 गिरफ्तार किए गए हैं और 2,700 माओवादियों ने सरेंडर किया है। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार 31 मार्च तक माओवादी समस्या का अंत करने के लिए कटिबद्ध है।

नक्सलवाद का सफाया होगा

उन्होंने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का संकल्प स्पष्ट है। हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्ण सफाया हो जाए।विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जनवरी 2024 से अब तक एके-47 राइफल, इंसास राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, लाइट मशीन गन, मोर्टार और पिस्तौल समेत लगभग 1,100 हथियार बरामद किए हैं।

कितने टॉप लीडरों का एनकाउंटर हुआ

उन्होंने कहा, माओवादी संगठन के

पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के छह सदस्य मारे गए हैं, जबकि दो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान विशेष क्षेत्रीय समितियों के 17 सदस्य मारे गए, सात ने आत्मसमर्पण किया और एक को गिरफ्तार किया गया। विजय शर्मा ने कहा कि वह लंबे समय से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या गिरफ्तार किये जाने वाले माओवादियों से अधिक हो जाएगी। उन्होंने मौजूदा रुझान को संतोषजनक बताया।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिल रही ट्रेनिंग

गृहमंत्री ने कहा, राज्य में सात पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। अब तक, इन केंद्रों में 410 महिलाओं समेत लगभग 1,700 पूर्व नक्सलियों ने विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि 232 वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को मोबाइल फोन समेत स्वागत किट प्रदान की जाती है ताकि वे समाज से दोबारा जुड़ सकें। विजय शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा रहे हैं तथा उनकी रायपुर यात्रा आयोजित की जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर, सरायपाली और पड़ोसी राज्यों के रेडियो स्टेशनों के माध्यम से आत्मसमर्पण की अपील प्रसारित की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा विकास

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचाना है, जिसमें स्कूलों, बिजली, पीने के पानी, अस्पतालों और आंगनवाड़ियों की सुलभता शामिल है और यह सुनिश्चित करना है कि संविधान को क्षेत्र के हर कोने में लागू किया जाए।

अलग-अलग सड़क हादसों में राज्य में 5 की मौत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। विधानसभा रोड पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक और साइकिल सवार पति-पत्नी तीनों दूर जा गिरे। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो तीनों सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। गंभीर चोटों के कारण तीनों ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं दूसरी घटना कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र की है।मोरगा चौकी इलाके में ओवरटेक के दौरान एक अज्ञात वाहन ने दो कारों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों कारें अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराईं। इस हादसे में एक कार में सामने बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पांच अन्य लोग घायल हुए हैं।घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और हादसों के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

मल्लिकार्जुन और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री की चर्चा जोरो पर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा जोरो पर है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद चैतन्य बघेल अचानक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सामने आई। जिसके बाद उनकी सियासी एंट्री के कयास लगाए जाने लगे. हालांकि इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, 'ये कांग्रेस है, जहां कार्यकर्ता नहीं वंश आगे बढ़ता है। चैतन्य बघेल जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें

पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की। साथ ही लिखा- 'मेरे बेटे चैतन्य ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से आशीर्वाद लिया.' इस तस्वीर में चैतन्य बघेल, मल्लिकार्जुन को गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी के साथ है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर होने के बाद राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोग अब कयास लगा रहे है कि चैतन्य बघेल को कांग्रेस में लॉन्च किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि 2026 के आखिरी तक औपचारिक तौर पर चैतन्य की कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। हालांकि चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री की चचाओं पर बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं वंशवाद आगे बढ़ता है, कांग्रेस में एक और दागी शामिल हो जाएगा.

रेरा अधिनियम का खुलेआम मजाक बना रहे बिल्डर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कार्पेट एरिया बनाम सुपर बिल्ट-अप एरिया का विवाद एक बार फिर रियल एस्टेट में चर्चा पर है। रेरा अधिनियम 2016 की धारा 2(के) में सुपर बिल्ट-अप एरिया का उल्लेख नहीं है और बिक्री कार्पेट एरिया के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद प्रदेश में कई बिल्डर सुपर बिल्ट-अप के आधार पर ही फ्लैट बेच रहे हैं और रजिस्ट्रियां भी उसी हिसाब से हो रही हैं। रेरा ने 11 अक्टूबर 2024 और 30 अप्रैल 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किए। 30 अप्रैल 2025 के आदेश में स्पष्ट लिखा गया कि रेरा अधिनियम में सुपर बिल्ट-अप एरिया का कोई प्रावधान नहीं है और रजिस्ट्री कार्पेट एरिया के

आधार पर की जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि विज्ञापनों और ब्रोशर में केवल कार्पेट एरिया का उल्लेख हो। हालांकि आदेश में यह भी जोड़ा गया कि प्रमोटर बालकनी, सीढ़ी, कॉरिडोर या ओपन एरिया का अलग से उल्लेख कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इसी बिंदु का सहारा लेकर बिल्डर सुपर बिल्ट-अप की अवधारणा को अप्रत्यक्ष रूप से जारी रखे हुए हैं। जमीनी स्तर पर न तो व्यापक जांच हुई और न ही रजिस्ट्रार कार्यालयों से यह जानकारी मांगी गई कि वास्तविक रजिस्ट्रियां किस आधार पर हो रही हैं। कार्पेट एरिया वह वास्तविक क्षेत्र होता है, जिसका उपयोग घर के भीतर किया जाता है, जैसे कमरे, रसोई और बाथरूम। वहीं सीढ़ियां, लिफ्ट, कॉरिडोर और साझा हिस्से सुपर बिल्ट-अप में जोड़े जाते हैं। कई मामलों में 30 से 40 प्रतिशत तक क्षेत्र सुपर बिल्ट-अप में जोड़ दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को कम उपयोगी जगह के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि बहुमंजिला इमारत में सीढ़ी या लिफ्ट आवश्यक हिस्सा है, लेकिन उसका अलग से मूल्य जोड़ना उपभोक्ता के लिए बोझ बन जाता है। प्रचार सामग्री में बड़े अक्षरों में सुपर बिल्ट-अप एरिया दिखाया जाता है, जबकि कार्पेट एरिया अपेक्षाकृत कम होता है। इससे खरीदार भ्रमित हो जाते हैं। रेरा कानून के अनुसार एग्रीमेंट और रजिस्ट्री दस्तावेज में कार्पेट एरिया का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है। यदि सुपर बिल्ट-अप के आधार पर रजिस्ट्री की जाती है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित राज्य रेरा में शिकायत की जा सकती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आदेश जारी होने के बावजूद निगरानी और कार्रवाई का अभाव क्यों है। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि यदि सख्त जांच और दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो आदेश महज औपचारिकता बनकर रह जाएंगे।

मक्का प्लांट पर ग्रामीणों ने बोला धावा, वाहनों में की तोड़फोड़

कोंडागांव। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण इकाई में गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात बड़ा हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 700 से 800 ग्रामीण एकजुट होकर प्लांट परिसर पहुंचे। शुरूआत में घेराव शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ उग्र हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने परिसर में खड़ी कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की।

बालक स्कूल के विद्यार्थियों का जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन

रामानुजनगर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला सूरजपुर के तत्वावधान में जिला स्तर पर आयोजित सरगुजा ओलंपिक 2026 के विभिन्न विधाओं के खेल प्रतियोगिता में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर के एक से अधिक विधाओं में कई विद्यार्थी हुए पुरस्कृत। जिसमें अभिषेक सिंह 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान, 200 मीटर में द्वितीय स्थान आशीष सिंह, 200 मीटर में प्रथम तेज सिंह, विश्वास, आशीष, पंकज, रिले रेस में तृतीय स्थान प्राप्त कर इन विद्यार्थियों ने विद्यालय के साथ-साथ विकासखंड का नाम भी रोशन किया है।

वीआईपी रोड पर निकली बारात तो होगी मैरिज पैलेस संचालकों पर कार्रवाई

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। हर साल शादी के मौसम में एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली वीआईपी रोड पर हालात बिगड़ जाते हैं। बारात, डीजे और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की वजह से लंबा जाम लगता है। कई बार यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने में भी परेशानी उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) विवेक

शुक्ला ने वीआईपी रोड स्थित करीब 30 होटल और मैरिज पैलेस संचालकों की बैठक ली। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में बारात मुख्य सड़क पर नहीं निकलेगी। पूरी गतिविधि होटल या मैरिज पैलेस के कैंपस के भीतर ही होगी। बैठक में मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) सतीश ठाकुर ने बताया कि फरवरी से मई के बीच समारोहों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे यातायात पर दबाव बढ़ता है। इसलिए सभी संचालकों को निर्देश दिया गया है कि पार्किंग की व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क पर गाड़ियां खड़ी मिलीं या जाम की स्थिति बनी, तो संबंधित होटल संचालक और आयोजक दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्य मार्ग पर खड़ी गाड़ियों को तत्काल क्रेन से हटाया जाएगा और भारी जुमार्ना भी लगाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों का समय बचाना है। आने वाले दिनों में नियमों के पालन को लेकर सख्त निगरानी की जाएगी।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क० / अ-6/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कलश ग्रीन द्वारा पार्टनर कृष्णानंद सिंह आ. स्व. आर. बी. सिंह, निवासी केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि कलश ग्रींन फर्म के द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 06.09.2017, 17.08.2017 एवं 16/08/2017 के द्वारा अनावेदक व फर्म के पार्टनर विनोद कुमार अग्रवाल आ. खजांचीलाल अग्रवाल, निवासी एम. जी. रोड अम्बिकापुर के नाम पर कय किया गया है तथा आवेदक कृष्णानंद सिंह एवं अनावेदक विनोद कुमार अग्रवाल के द्वारा रजिस्ट्रर्ड फर्म कमांक 49/2016-17 दिनांक 21.12.2016 अनुसार पंजीकृत है। रजिस्ट्रर्ड फर्म कमांक 49/2016-17 में संशोधन कमांक 12220163036301 में पारित आदेश दिनांक 03/06/2021 के अनुसार अनावेदक विनोद कुमार अग्रवाल आ० खजांचीलाल अग्रवाल को फर्म से पृथक कर दिया गया है। इस प्रकार पंजीकृत फर्म से पृथक हुए अनावेदक विनोद कुमार अग्रवाल आ० खजांचीलाल अग्रवाल का नाम ग्राम सरगंवा स्थित भूमि खसरा नंबर 843/2, 843/5, 877/1, 879/2 रकबा क्रमशः 3.947, 0.207, 0.500, 0.300 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 4.954 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों में से विनोद कुमार अग्रवाल आ. खजांचीलाल अग्रवाल का नाम विलोपित करा कर आवेदक अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 04/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

कार्यालय अनुविभाग्य अधिकारी (रा) बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)
ईश्तहार

ग्राम पंचायत लुगीखुर्द
थाना चलगली रामानुजगंज
तहसील डौरा -कोचली
ज़िला बलरामपुर रामानुजगंज

एतद द्वारा सर्वसाधारण ग्राम पंचायत मुर्गी खुर्द को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजीव गुप्ता पिता विश्वनाथ गुप्ता निवासी ग्राम लुगीखुर्द थाना चलगली तहसील डौरा कोचली जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के द्वारा अपने पुत्री का नाम रुही गुप्ता से परिवर्तन कर नया नाम आर्य गुप्ता के नाम से आधार कार्ड में दर्ज करने हेतु आवेदन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उपरोक्त आवेदन पत्र के आधार पर हल्का पटवारी हल्का नंबर 09 तहसील डौरा कोचली से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया आवेदक के पुत्री का त्रुटी वंश आधार कार्ड में रूही कुमारी (गुप्ता) पिता राजीव गुप्ता हो गया है अनुसूची एवं जन्म प्रमाण पत्र में आर्या गुप्ता राजीव गुप्ता पाया गया आवेदक के पुत्री का नाम आर्या गुप्ता ही है एवं वर्तमान में आवेदक राजीव गुप्ता पिता विश्वनाथ का ग्राम पंचायत लुगीखुर्द में मकान बनाकर निवासरत हैं यदि उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अभिभाषाक के माध्यम से दिनांक 25 ,2 ,2025 को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं उक्त नियत समय अवधि के पक्ष प्रस्तुत दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा आज दिनांक 10 2 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रासे जारी

अनुविभाग्य अधिकारी (रा)
बलरामपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क 2026022225728002 1/अ-6/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ब्रम्हानंद रेलवानी आ० स्व० काल्लुमल व अन्य, निवासी महाराजा गली, सिन्धी कालोनी अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा इस का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सरगंवा स्थित भूमि खसरा नंबर 871/3, 871/4, 873/5 रकबा कमशः 0.777, 0.269, 0.269 हे० भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि आवेदक कमांक-01, ब्रम्हानंद रेलवानी आ० स्व० काल्लुमल के नाम पर दर्ज है। आवेदक ब्रम्हानंद रेलवानी आ० स्व० काल्लुमल के साथ अन्य सह भागीदार किशोर कुमार मनवानी आ. जीवत राम, संतोष कुमार बिहाड़े आ. श्री प्रभाकर बिहाड़े, देवादित्य सिंह सिसोदिया आ. श्री भारत सिंह सिसोदिया, हेमन्त अग्रवाल आ. रामचन्द्र अग्रवाल, सभी निवासी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० मेसर्स ओम इन्फा के नाम पर पंजीयन कमांक 222202543945 दिनांक 18/07/2025 द्वारा सह-भागेदार है। आवेदकगणो के द्वारा उपरोक्त सह-भागेदार के आधार पर उपरोक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में मेसर्स ओम इन्फा सह भागेदारो का नाम दर्ज कराने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद पाप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 04/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमदा से जारी

अतिरिक्त तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुकेश कुमार अग्रवाल पिता गोपाल दास अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 4740/3, रकबा 0.296 हे० भूमि को कृषि भिन्न व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक.12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-20

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम दुलार चौधरी आ० बाल किशुन चौधरी जाति पासी निवासी पाण्डवपारा तहसील कोरिया जिला कोरीया (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम नर्वदापारा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 3/33, रकबा 0.016 हे0 भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त, संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि. 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक .12/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश मिंज पिता लुन्दु मिंज जाति उरांव निवासी बासेन तहसील जशपुर जिला जशपुर (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 4719/1, रकबा 0.0.312 हे० भूमि को कृषि भिन्न व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंविकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा. सर्व-साधारण को. सूचित किया जाता है कि आवेदक तारक चन्द मण्डल आ० कालाचन्द जाति नमोशुद्र निवासी फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 464/2, रकबा 0.050 हे0 में से 0.040 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक..12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा).
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०/अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अब्दुल मजीद पिता मुतुर्जा अली, श्रीमती शाबरा खातुन' जौजे बब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी महुआड़ाड़ तहसील महुआडाड जिला लातेहार (झारखण्ड) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 353/15, रकबा 0.117 हे0 में से 0.040 हे० भूमि को कृषि मिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/ 02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

सम्पादकीय

सच्चाई की सुरक्षा के लिए डीपफेक पर सख्ती जरूरी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को मानव की सहायता के लिए विकसित किया गया था, ताकि कामकाज आसान हो, उत्पादकता बढ़े और जटिल समस्याओं का समाधान मिल सके। एजेंटिक एआई जैसी उभरती तकनीकें बड़े भाषा मॉडल, मशीन लर्निंग और एंटरप्राइज ऑटोमेशन को जोड़कर ऐसे स्वायत्त सिस्टम बना रही हैं, जो डेटा का विश्लेषण कर निर्णय ले सकते हैं और कम मानवीय हस्तक्षेप में कार्य कर सकते हैं। यह तकनीक उद्योगों, प्रशासन और सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है, लेकिन हर तकनीक के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। एआई का दुरुपयोग आज गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। गूगल के सीईओ तक यह स्वीकार कर चुके हैं कि एआई का गलत इस्तेमाल नए खतरे पैदा कर रहा है। इन खतरों में सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण रूप है डीपफेक। डीपफेक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आवाज, तस्वीर या वीडियो को इस तरह बदला जा सकता है कि वह वास्तविक प्रतीत हो। इससे किसी की प्रतिष्ठा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर आघात पहुंच सकता है। राजनीति, समाज और पारिवारिक जीवन हर क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में एलन मस्क के एआई 'ग्रोक' के जरिए सोशल मीडिया पर अश्लील और भ्रामक तस्वीरों की बाढ़ इसका ताजा उदाहरण है। विवाद बढ़ने पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और संबंधित मंचों को सामग्री हटाने के निर्देश देने पड़े। सरकार ने अब सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन कर डीपफेक और एआई-जनित बनावटी सामग्री के प्रबंधन के लिए सख्त प्रावधान लागू किए हैं। 20 फरवरी से लागू होने वाले इन नियमों के तहत एक्स, इंस्टाग्राम जैसे मंचों को सक्षम प्राधिकारी या अदालत के आदेश पर ऐसी सामग्री तीन घंटे के भीतर हटानी होगी। इसके अलावा, एआई से तैयार सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग भी जरूरी कर दी गई है, ताकि उपयोगकर्ता जान सकें कि वे जो देख रहे हैं वह वास्तविक है या कृत्रिम रूप से निर्मित। यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि बनावटी सामग्री को अब औपचारिक रूप से 'सूचना' की श्रेणी में रखा गया है और गैरकानूनी गतिविधियों के निर्धारण में इसे अन्य सूचनाओं के समान माना जाएगा। साथ ही, यदि किसी सामग्री पर एआई लेबल लगाया गया है तो उसे हटाने या छिपाने की अनुमति नहीं होगी। जहां संभव हो, वहां स्थायी मेटाडेटा जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है। बच्चों का मन कोमल और संवेदनशील होता है। डीपफेक या भ्रामक सामग्री उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और फर्जी वीडियो के माध्यम से बच्चों को निशाना बनाना एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। ऐसे में अभिभावकों, स्कूलों और डिजिटल मंचों को मिलकर बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। एजेंटिक एआई जहां संभाव्य और अनुकूलनशील तकनीक के रूप में नए अवसर खोल रहा है, वहीं नियतात्मक प्रणालियां जैसे आरपीए सुरक्षित और अनुपालन आधारित संचालन के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है। भविष्य का डिजिटल ढांचा इन दोनों तकनीकों के संतुलित संयोजन पर आधारित होगा, परंतु तकनीकी प्रगति का अर्थ यह नहीं कि नैतिकता और निजता को दरकिनार कर दिया जाए। आज आवश्यकता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझें। केवल मुनाफा कमाने की दौड़ में वे समाज को जोखिम में नहीं डाल सकतीं।

सारा संसार

कोयम्बटूर के धार्मिक स्थलों में से एक, 11वीं शताब्दी का पेरुर पाटेश्वर निर्मित मंदिर राजा करिकाल चोल द्वारा बनाया गया था। शिव को स्वयंभू लिंगम के रूप में, पीठासीन देवता, पट्टेश्वर के रूप में पूजा जाता है।

विचार

डॉ. राजेश के पिलानिया

खुशहाल जीवन के लिए आत्मग्लानि से मुक्ति

आत्मग्लानि एक बहुत मजबूत भावना है। इसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आत्मग्लानि की भावना का एक सकारात्मक प्रभाव भी होता है, लेकिन इसका जीवन के कई पहलुओं पर, खासकर मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर, गहरा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आत्मग्लानि का सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह हमें कुछ नकारात्मक काम करने से रोकती है और हमारे जीवन में किए गए कार्यों पर सोचने में मदद करती है। आत्मग्लानि को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना और जीवन में सही रास्ते पर बने रहना उपयोगी हो सकता है। हालांकि, कई लोगों के लिए आत्मग्लानि तब नकारात्मक प्रभाव डालती है, जब इसे सही तरीके से संभाला नहीं जाता। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो आत्मग्लानि का भारी बोझ उठाए हुए हैं और एक दुखी व असंतुष्ट जीवन जी रहे हैं। उदाहरण के लिए- मैंने जो किया उसके आधार पर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं और यह बात मुझे हर समय परेशान करती रहती है; मैं अपने माता-पिता की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के विचार से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं; अपने पिछले रिश्ते को तोड़ने की आत्मग्लानि के कारण मैं अपने वर्तमान रिश्ते की सफलता को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं; अपने जीवन की एक गलती के कारण मुझे खुद पर शर्म महसूस होती है; या मैंने जो किया उसकी शर्म की वजह से मैं लोगों से घुल-मिल नहीं पाता और अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता हूं, और ऐसे कई अन्य उदाहरण। आत्मग्लानि शर्म, अलगाव, अकेलापन और मानसिक आघात जैसे कई हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकती है। लोग उन बातों के लिए भी आत्मग्लानि महसूस करते रहते हैं जो कई दशक पहले हुई थीं। शोध से पता चलता है कि यह लंबे समय तक बनी रहने वाली आत्मग्लानि जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, जिनमें आत्मविश्वास, रिश्ते, काम, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, समग्र भलाई और खुशी शामिल हैं। यह आत्मग्लानि से निपटने का सही तरीका नहीं है। हमें इसे संभालने का एक बेहतर तरीका खोजने की जरूरत है। हालांकि यह कठिन है, लेकिन सही दिशा में छोटे और सरल कदम उठाकर इसे किया जा सकता है। पहला कदम है आत्मग्लानि की भावना को पहचानना और उसे स्वीकार करना। दूसरा कदम यह देखना है कि क्या यह भावना वास्तव में सही है—क्या व्यक्ति वास्तव में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार है, या वह गलत धारणाओं के आधार पर खुद को दोषी मान रहा है। तीसरा कदम है आत्मग्लानि की जड़ को पहचानना और उसे निष्पक्ष रूप से देखना। चौथा कदम है उससे सीख लेना और अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करना, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। पांचवां कदम यह है कि खुद को माफ करके, अपनी गलतियों से सीख लेकर और उन्हें दोहराने से बचने का संकल्प लेकर व्यक्ति आत्मग्लानि की भावना से बाहर आ सकता है। यदि किसी को अपने दम पर आत्मग्लानि से बाहर निकलना कठिन लगे, तो वह दूसरों से मदद ले सकता है, जिसमें पेशेवर मदद भी शामिल है। आत्मग्लानि को समझकर और उससे सीख लेकर व्यक्ति एक नई शुरुआत कर सकता है। इस नई शुरुआत के साथ वह उदासी की छाया से बाहर आ सकता है और अतीत के बोझ से मुक्त महसूस कर सकता है। इसके बाद व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में खुशी के छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू कर सकता है, अधिक खुश रह सकता है और एक अधिक संतोषपूर्ण जीवन जी सकता है।

(लेखक एमडीआई गुरुग्राम में प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

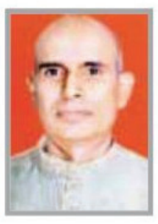

जयंती विशेष

अखिलेश आर्येन्दु

दयानंद ने दिखाया था परमार्थ का रास्ता

> महर्षि दयानंद ने आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, गौकृष्यादि रक्षणी सभा और धर्म सभा की स्थापना की। वे ऐसे समाज सुधारक, वेदों के उद्धारकर्ता और धर्म के रक्षक महामान थे, जिनका मानना था कि दूसरों की उन्नति, प्रगति और विकास को ही अपनी उन्नति और विकास मानना मानव का स्वभाव होना चाहिए। इससे जहां परहित होता है, वहीं पर स्वहित भी होता जाता है। जहां भी सामाजिक कार्य हों, वहां पर अपने निहित स्वार्थ को तज सामाजिक स्वार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी मतावलम्बियों के साथ विमर्श कर एक सर्वसम्मत सद्भाव का रास्ता पहली बार दयानंद संन्यासी ने तलाशा। यह बगैर किसी दुराग्रह, आग्रह और स्वार्थ के वशीभूत हो किया गया सर्वहितकारी राष्ट्रहितैषी कार्य था।

गुजरात के काठियावाड़ के टंकारा ग्राम में 200 वर्ष पूर्व जन्म लेने वाले आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, गौकृष्यादि रक्षणी सभा और धर्म सभा की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन और कार्यों को समझने के लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनसे प्रेरणा लेने वाले लाला लाज पत राय, सरदार भगतसिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद सरीखे अनगिनत मां भारती के वीर योद्धाओं के कार्यों से हम समझ सकते हैं। वे ऐसे समाज सुधारक, वेदों के उद्धारकर्ता और धर्म के रक्षक महामान थे, जिनका मानना था कि दूसरों की उन्नति, प्रगति और विकास को ही अपनी उन्नति और विकास मानना मानव का स्वभाव होना चाहिए। इससे जहां परहित होता है, वहीं पर स्वहित भी होता जाता है। जहां भी सामाजिक कार्य हों, वहां पर अपने निहित स्वार्थ को तज सामाजिक स्वार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए।

महर्षि दयानंद ने ऐसे सर्वहितकारी विचार तब दिए थे जब भारतीय समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां और स्वार्थवादी प्रवृतियों का बोलबाला था। दयानंद ने निर्भीकता से कहा-सत्य, ज्ञान और विद्या मानव उन्नति और हित के आधार हैं। सत्य के बिना न तो ज्ञान की अहमियत है और न तो विद्या की ही। उन्होंने वेद को सत्य, ज्ञान और विद्या का आधार बताया। वह अपने उपदेशों, उद्बोधनों और प्रवचनों में वेद विद्या को प्रमुखता देते थे। उन्होंने कहा-मानव मन को चंगा करने और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को हासिल करने के लिए वेद का रास्ता ही सबसे सहज, सरल और पवित्र है। वेद ऐसे ज्ञान, विद्या और विज्ञान के आधार स्तम्भ हैं, जहां से सभी तरह की विद्याओं और विज्ञानों का उद्गम होता है। उपनिषदों में अंधकार के पार देखने वाले और अंधकार के पार जाकर प्रकाश में विचरण करने वाले साधक को 'स्कंद' कहा गया है। जो मानव सभी तरह की बुराइयों, अंधकारों, अज्ञानता और संस्कारों से छूट जाता है, वह परम पावन ज्ञानमयी बन जाता है। दयानंद ऐसे ही परम पावन ज्ञानमयी साधक थे। उनकी साधना ऋद्धियों-सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं थी बल्कि अंधकार, अविद्या, दुख, पाप, असत्य और पाखंड में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए थी। वह ऐसे युग निर्माता और समाज सुधारक थे, जिनके रगों में सर्वहित और सर्वदुख निवारण का रक्त प्रवाहित हो रहा था। महर्षि दयानंद ने कहा, वेद सभी ज्ञान-विज्ञानों और विचारों के अंतिम प्रमाण हैं। वेद ऐसे ज्ञान रश्मि के स्त्रोत हैं जहां मानव के आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापों और और विषयों को कसौटी प्रदान करते हैं। महर्षि ने समाज सुधार के अनगिनत कार्य तो किए ही, आजादी के लिए अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी तैयार किए। वह सब का भला चाहते थे, भले ही उन्हें उनके लिए दुख सहने पड़ते हों। असहायों, दुखियों, रोगियों, दलितों, गरीबों और अंधकार में भटक रहे अज्ञानी लोगों के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया, जो वह कर सकते थे। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका और वेदांजलि में महर्षि दयानंद ने मानव के जीवन के हर पक्ष को मजबूत बनाने और उन्नति करने के सभी तरह के सूत्र और विचार दिए हैं। वह मत-मतांतरों की आलोचना उनके सुधार के मद्देजनर करते हैं। वह जितना

हिंदुओं के सुधार की बात करते हैं, उनता ही मुसलमानों, ईसाइयों, बोद्धों, सिखों और जैनियों के भी। समाज, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, ज्ञान, विद्या और राजनीति सहित अनेक विषयों पर महर्षि दयानंद ने अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किए हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति जैसे सबसे विवादित विषयों को भी उन्होंने अपनी पुस्तकों में वेद और तर्क के आधार पर परिभाषित और व्याख्यायित किया है। दुनिया में सबसे अधिक विवाद और झगड़े ईश्वर, धर्म और मत-पंथ पर रहे हैं। महर्षि ने इन पर खुलकर अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किए हैं। वह कहते हैं कि पहले ईश्वर, जीव और मत-पंथों को जानों, समझों और फिर मानो। उन्होंने कबीर की तरह गुरु को खूब ठोक-बजाकर ही मानने पर जोर दिया है। इसी तरह, प्रत्येक कार्य, विचार और विषय को भी मानने के पहले उन्हें खूब समझ लेने पर जोर दिया। यूं तो ब्रह्मांड की काल गणना में दो शताब्दी बहुत लम्बा समय नहीं होता, लेकिन किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के जन्म, कार्य, उद्देश्य और जनहित के कार्य की गणना में महत्व जरूर रखता है। वैरागी जीवन अपनाने के साथ ही, सत्य की खोज का संकल्प और संन्यास लेने के बाद समाज, संस्कृति, वैदिक धर्म, हिंदी, गुरुकुलीय शिक्षा के विकास, दलितों, पिछड़ों के साथ मजलूमों की बेहतरी के लिए समर्पित हो गया था। संन्यास लेने और गुरु विरजानंद से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दयानंद सरस्वती के रूप में समाज में ख्याति हासिल किया, जो कई धाराओं में आगे बढ़ता हुआ रोशन होता गया। उन धाराओं में वेदों का पुर्नोदय के लिए शास्त्रार्थ व वेदों का हिंदी में भाष्य, भारतीयता को गौरव दिलवाने, समाज सुधार, गुरुकुलीय शिक्षा के उन्नयन, राष्ट्राभिमान और स्वदेशी की महत्ता से राष्ट्रनिर्माण का सूत्र देने जैसी अनेक धाराएं वे एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे।

समाज के शोषित, दलित, असहाय और अशिक्षित वर्ग की हालत विदेशी राज सत्ता की नाइंसाफी की वजह से दिनोंदिन बदतर होती जा रही थी। इसका असर भारतीय समाज के हर क्षेत्र में साफ-साफ दिखाई दे रहा था। स्वामी दयानंद ने इसे समझा और महसूस किया और यहीं से उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राष्ट्रीय, शैक्षिक सुधार और परंपरागत विचारों में बदलाव करने की ठानी। उस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि समाज के हर वर्ग की मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं और विचारों में खुला चिंतन और तर्कवादी विमर्श पैदा हुआ। इससे जहां देश में आजादी की हवा बहने लगी, वहीं गुलामी की जंजीरों की जकड़ धीरे-घीरे ढीली होने लगीं। आर्यसमाज की स्थापना के 150 वर्ष 2026 में पूरे होंगे। पिछले डेढ़ सौ वर्षों में स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित इस संस्था ने समाज सुधार, नव निर्माण, वेदों के प्रचार-प्रसार, समाज के शोषित, दलित, असहाय, अशिक्षित और अंधविश्वास-पाखंड में जकड़े वर्ग को जाग्रत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद के, उद्देश्यों, कार्यों, सुधारों और निर्माण को आर्य समाज के कार्यों के साथ जोड़े बगैर उनका पूरा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वहीं पर आर्यसमाज के आंदोलन स्वरूप से गांधी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कहना पड़ा- जहां-जहां मैं गुजरता हूं वहां आर्य समाज पहले ही गुजर चुका होता है। यह था आर्यसमाज का स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का असर। लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ऊधम सिंह जैसे तमाम देशभक्तों की बलिदान की कहानी दयानंद और आर्यसमाज के रास्ते से गुजरती है। इसी तरह सभी मतावलम्बियों के साथ विमर्श कर एक सर्वसम्मत सद्भाव का रास्ता पहली बार दयानंद संन्यासी ने तलाशा। यह बगैर किसी दुराग्रह, आग्रह और स्वार्थ के वशीभूत हो किया गया सर्वहितकारी राष्ट्रहितैषी कार्य था।

(लेखक साहित्यकार और चिंतक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

स्वीकारोक्तिः गलतियों को खुले मन से स्वीकार करें

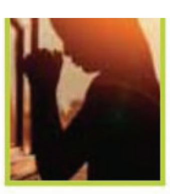

संकलित

दर्शन

कार्य संपन्न होने की प्रक्रिया में कदाचित त्रुटियां रह सकती हैं, भले ही कार्य निष्ठा से किया जाए। अगर कोई आपके किए-कराए में चूक निकाले, उस पर टिप्पणी करे तो नाराज होने के बजाय उसे खुलेमन से स्वीकार करें। वैसे आप गलतियां करने से तभी बच पाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे। अपने अवगुण या खोट को स्वीकार करना श्रेष्ठ मानवीय गुण है। औसत सोच का व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। अवांछनीय या अनुचित कार्य की अनदेखी का अर्थ है संशोधन के द्वार बंद कर देना। सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति तो साक्षात देवता है। भूल-चूक की स्वीकारोक्ति प्रगति की राह में पहला चरण है। इस प्रक्रिया में आप अनेक व्यक्तियों का विश्वास जीतते हैं। जिस सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे बदलेंगे कैसे? जिसे अपनी अपूर्णताओं का आभास नहीं वह मूर्ख नहीं, बल्कि दयनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकेगा। जिस सीमा तक हम अपनी अपूर्णताओं और अवांछनीय व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे और समाधान की ओर अग्रसर रहेंगे, उसी अनुपात में हम नैतिक रूप से समृद्ध होंगे। व्यावहारिक जीवन में संयमी, संयत व्यक्ति से भी भूल-चूक हो जाती है। उन्नत सोच का व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेगा। मध्यम सोच वाले को गलती का अहसास तो होगा, वह मन में कुढ़ेगा भी, किंतु लज्जित होने की आशंका से वह गलती को खुलेआम नहीं मानेगा। अपनी छवि के प्रति अत्यंत चौकस अधिसंख्य व्यक्ति अपने गलत कार्य या कथन की वैसी संरक्षा करेंगे जैसे सद्गुण या शील दांव पर हो।

गौतम ऋषि के तप से प्रकट हुई थीं गंगा

संकलित

प्रेरणा

मान्यता है कि पुराने समय गौतम ऋषि और देवी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। वर्तमान में ये क्षेत्र नासिक जिले में है। गौतम ऋषि तपस्वी थे, इस कारण उन्हें हर जगह मान-सम्मान मिलता था। इस बात से यहां अन्य साधु-संत गौतम ऋषि के लिए जलन की भावना रखते थे। साधु-संत गौतम ऋषि का अपमान करने का कोई न कोई बहाना खोजते रहते थे। एक दिन जलन की वजह से सभी साधु-संतों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या करने का झूठा आरोप लगा दिया। सभी साधु-संतों ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए आपको देवी गंगा को यहां बुलाना होगा। तब गौतम ऋषि ने यहां शिवलिंग स्थापित करके तपस्या करना शुरू की। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती यहां प्रकट हुए। जब शिव जी ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा तो गौतम जी से वरदान में मांगा कि देव नदी गंगा को यहां भेज दीजिए। ऐसा कहने पर शिव जी की इच्छा से देवी गंगा भी वहां प्रकट हो गईं। गंगा ने कहा कि अगर शिव जी भी यहां रहेंगे, तभी मैं भी यहां रहूंगी। गौतम ऋषि को वरदान देने और देवी गंगा की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहां ज्योति रूप में विराजमान हो गए। इसके बाद देव नदी गंगा भी यहां गौतमी नदी के रूप में बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदवरी भी है। इसके बाद गौतम ऋषि पर लगाया गया आरोप झूठा साबित हो गया। साधु-संतों को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। गौतम ऋषि ने सभी को क्षमा भी कर दिया।

सटाका

आज की पाती

बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद हों

आज के अत्याधुनिक दौर में सोशल मीडिया का अनियंत्रित विस्तार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर मानसिक संकट का कारण बनता जा रहा है। इस तकनीकी उछाल ने इनसान को धीरे-धीरे मानसिक रूप से निर्बल बनाया है, साथ ही वह स्वाभाविक जीवन जीने की क्षमता भी खोता जा रहा है। सोशल मीडिया का सबसे अधिक विषैला प्रभाव बच्चों की कोमल मानसिकता पर पड़ रहा है। दुनिया के कई विकसित और प्रगतिशील देश बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कड़े कानून बना चुके हैं और कठोरता से लागू भी कर रहे हैं। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। भारत में भी 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट तुरंत बंद होने चाहिए।

– मनोज जोशी, राजनांदगांव

करंट अफेयर

बाल देखभाल केंद्रों में तेजी से बढ़ रही गंभीर घटनाएं

ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभिक बाल शिक्षा केंद्रों तथा बाल देखभाल केंद्रों में गंभीर घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्पादकता आयोग की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में प्रति 100 सेवा केंद्रों पर ऐसी 160 गंभीर घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि यह आंकड़ा 2023-24 में 148 और 2022-23 में 139 था। गंभीर घटना से आशय ऐसी स्थिति से है जो किसी बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित करे। इसमें गंभीर चोट या बीमारी जिसके लिए चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता हो, आपात सेवाओं की मौजूदगी वाली घटनाएं, बच्चे का लापता हो जाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा दुर्व्यवहार या बच्चे की मृत्यु भी इस श्रेणी में आती है। दिसंबर 2025 में जारी राष्ट्रीय बाल देखभाल सुरक्षा एवं गुणवत्ता एजेंसी (एसीईसीक्यूए) की रिपोर्ट के अनुसार चोट, बीमारी या आघात के मामले कुल गंभीर मामलों के 77.7 प्रतिशत थे। ये आंकड़े देशभर में प्रारंभिक बाल शिक्षा केंद्रों तथा बाल देखभाल केंद्रों की सुरक्षा को लेकर जारी चिंताओं के बीच सामने आए हैं। पिछले सप्ताह नियामकों ने सिडनी में एक पारिवारिक बाल देखभाल केंद्र को बंद किए जाने की जानकारी दी, जहां चाकू और ज़हर जिस स्थान पर रखे गए थे, बच्चे वहां तक आसानी से पहुंच सकते थे।

ऑफ बीट

क्या गर्म पानी पीने से वजन घटता व साफ होती है त्वचा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया चलन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रोजाना एक कप सादा गर्म पानी (बिना किसी मिश्रण के) पीने से वजन घटाने, त्वचा साफ होने, गले की खराश और मासिक धर्म के दर्द में राहत जैसे फायदे मिलते हैं। इसे सरल और प्राकृतिक उपाय के रूप में पेश किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार गुनगुना (उबलता नहीं) पानी पीना सामान्यतः सुरक्षित है और कई लोगों को इससे आराम महसूस होता है, लेकिन इसके विशेष स्वास्थ्य लाभों के पक्ष में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। लाभ संभवतः अधिक पानी पीने, नियमित स्वास्थ्य आदत अपनाने या गर्माहट से मिलने वाले सुकून के कारण हो सकते हैं, न कि पानी के तापमान के कारण। पानी, चाहे ठंडा हो या गर्म, शरीर के लिए आवश्यक है। पर्याप्त पानी पीना पाचन, रक्त संचार, गुर्दा क्रिया, रक्तचाप नियंत्रण और समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 2025 के एक अध्ययन में संकेत मिला कि पर्याप्त पानी न पीने से रोजमर्रा के तनाव से निपटना कठिन हो सकता है। हालांकि अब तक ऐसा कोई मजबूत प्रमाण नहीं है कि गर्म पानी, सामान्य या ठंडे पानी की तुलना में अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ देता है।

ट्रेंड

अंत्योदय के प्रणेता

सर्वस्व समर्पण उस चेतना की अभिव्यक्ति है, जिसमें राष्ट्र और मानवता सर्वोपरि होती है। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी इसी भावना से देश के जन-जन को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय टेक्सटाइल

टेक्सटाइल की रेस में भारत 18% टैरिफ की बेड़ियों में दौड़ेगा और बांग्लादेश 0% टैरिफ के खुले मैदान में। पीएम का ट्रम्प की शर्तों के सामने समर्पण का ऐलान, भारतीय टेक्सटाइल के लिए मौत का फरमान है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

सम्मानजनक स्टाइपेंड

1 साल में हेल्थ सेक्टर की 27 साल पुरानी लीगेसी प्रॉब्लम्स का हमने समाधान निकालना शुरू कर दिया है। नर्सिंग इंटर्न्स, जिन्हें स्टाइपेंड के नाम पर केवल 500 रुपये मिलते थे, आज उन्हें 13,000+ का सम्मानजनक स्टाइपेंड मिल रहा है।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

उप्र बजट लोक लुभावना

उत्तर प्रदेश विस में पेश किया गया बजट लोक लुभावना ज्यादा तथा जनता के वास्तविक उत्थान एवं सर्वसमाज व सभी क्षेत्र के विकास का कम प्रतीत होता है। फिर भी जो घोषणायें व आश्वासन आदि जनता को देने का प्रयास किया गया है उसका सही से समयबद्ध तरीके से अमल जरूर हो।

- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

न्यायलय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा छ०ग०

ईश्तहार

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुखलाल आ० खोरा राम निवासी लक्ष्मीपुर थाना मणीपुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने दादी स्व केन्द्री आ० पति स्व घुरसाय की दिनांक 29/12/2003 को स्थान निवास हुई है आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी।

तहसीलदार

अम्विकापुर-सरगुजा

पीएम मोदी कल असम को देंगे कई सौगातें

मोरन के पास हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का करेंगे लोकार्पण

मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में होगा सहायक

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर 14 फरवरी को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। यह दूरस्थ क्षेत्रों में

मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के दौरान भी अहम होगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। यह सुविधा राजमार्ग के एक चिन्हित हिस्से को आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे के रूप में उपलब्ध कराएगी, जो लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के आपातकालीन लैंडिंग और टेक-ऑफ संचालन में सक्षम होगा। इस दौरान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा भी उपस्थित रहेंगे।

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भी करेंगे समर्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। वे शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि शुक्रवार को दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नामकरण करेंगे। वे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह प्रशासनिक संरचना में बड़ा बदलाव होगा।

बंगाल में सियासी सरगर्मी

हुमायूं कबीर ने बाबरी बनाना शुरू की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गरमी बढ़ी है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से

निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया है। यह मस्जिद बेलडांगा के रेजीनगर में बनाई जा रही है। कबीर ने हाल ही में टीएमसी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी 'जनता उन्नयन पार्टी' (जेयूपी) बनाई है।

माघ मेले में विवादों में रहे शंकराचार्य पर नया विवाद

अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, जांच शुरू

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष ने लगाया आरोप

एजेंसी ▸▸ प्रयागराज

माघ मेले में विवादों में रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर नया विवाद सामने आया है। स्वामी

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनकी सेवा में लगे आश्रम के बच्चों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं।इन आरोपों को लेकर उन्होंने प्रयागराज जिला कोर्ट में 28 जनवरी को 173(4)के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर अब तक दो तारीखों पर एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। इस मामले में वादी आशुतोष ब्रह्मचारी के कोर्ट में बयान दर्ज हो चुके हैं। कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

तब नाबालिग ने कुकर्म का लगाया था आरोप

गौरतलब है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था। उसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया था। हालांकि जो बच्चा बालिग हो गया है उसके साथ कुकर्म की घटना उस समय हुई थी, जबकि वह नाबालिग था।

न्यायलय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र.ब/121 वर्ष ग्राम- गंगौटी प.ह.न. 07

ईश्तहार

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवरात्री प्रसाद पिता स्व. देवलाल जाति पनिका निवासी ग्राम गंगौटी प.ह.न. 07 .रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के नानी स्व.कलेसरी पति रामदीन का मृत्यु दिनांक 25/05/2019 को ग्राम.गंगौटी में हुई है. अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने नानी स्व० कलेसरी का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत गंगौटी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 16/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।आज दिनांक 02/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार तहसील

भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निधि गर्ग पत्नी सौरभ कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी सत्तीपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 4575/6 रकबा 0.026 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।आज दिनांक 11/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा).

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार अग्रवाल पिता रामनिवास अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 484/64 रकबा 0.060 हे० भूमि का आवासीय व्यपर्वतन हो चुका है, उक्त रकबा में से 0.040 हे० भूमि को कृषि भिन्न व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चजरस पिस्तोश तिर्की पिता सुशील कुमार तिर्की जाति उरांव निवासी विश्रामपुर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम ठाकुरपुर तहसील, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 565/9, रकबा 0.072 हे0 में से 0.024 हे० भूमि को कृषि मिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक ..11 /02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय धिकारी (रा),

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०.../अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निरूपमा सिंह पिता निरंजन सिंह जाति क्षत्रिय निवासी खडगवा तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अजिरमा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 80/40, रकबा 0. 033 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, पंचायत प्रस्ताव, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०./अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अब्दुल रउफ पिता अब्दल सत्तार जाति मुसलमान निवासी खरसिया रोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 4810/4, रकबा 0.025 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी

अनुविभागीय अधिकारी (रा),

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

इश्तहार

रा०प्र० क्र०../अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दशरथ राम पिता जगन राम जाति उरांव निवासी सोनबरिसा तहसील दरिमा जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम दरिमा तहसील दरिमा जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 486/8, रकबा 0.061 हे0 का पूर्व में आवासीय व्यपवर्तन हो चुका है उक्त भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, पंचायत प्रस्ताव, व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि ..20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जावेगा आज दिनांक.11/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हाजी अब्दुल रउफ रहमानी आ० अब्दुल सत्तार रहमानी जाति मुसलमान निवासी खरसिया रोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 4802/9, 4802/9 रकबा 0.028, 0.006 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आंपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 11/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा).

अम्बिकापुर

एयर इंडिया हादसे की जांच में अधिकारियों ने कहा

विमान हादसे की वजह तकनीकी खराबी नहीं थी, फ्यूल स्विच को बंद किया गया

हादसे को बताया 'जानबूझकर किए गए काम' का परिणाम

एजेंसी ▸▸ अहमदाबाद

यहां हुए एयर इंडिया विमाम हादसे की जांच कर रहे अधिकारियों ने पाया कि यह आपदा किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह एक 'जानबूझकर किए गए काम' का परिणाम थी। इटली के एक अखवार ने नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हुई ताजा बातचीत से वाकिफ दो सोर्स के हवाले से यह रिपोर्ट दी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ऑफिशियल रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जांचकर्ताओं ने यह पाया कि

जून 2025 में हुआ क्रैश, जिसके संबंध में यह बताया गया था कि इंजन तक फ्यूल सप्लाई बंद होने से क्रैश हुआ था, वो कोई तकनीकी फेलयर की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझ कर किए गए काम की वजह से हुआ था।

फाइनल रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार हो रहा

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब जांच अधिकारी फाइनल रिपोर्ट की ड्राफ्ट तैयार करने में लगे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ जो जांच में मदद कर रहे हैं। उन्होंने जांच के परिणामों को एक बड़ी कामयाबी बताया है। बीते साल जून में एयर इंडिया द्वारा संचालित बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद क्रैश कर गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी।

आईसीएआर-आईएआरआई का 64वां दीक्षांत समारोह आज

शिवराज 470 विद्यार्थियों को उपाधि देकर करेंगे सम्मानित

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने दी जानकारी

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के निदेशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव ने बताया कि

निदेशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव

शुक्रवार को नई दिल्ली में आईसीएआर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) स्थित भारत रत्न सी. सुब्रह्मण्यम सभागार में दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में छात्र- छात्राओं को उपाधियां प्रदान करेंगे। इस अवसर पर 470 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी।

12,000 छात्र देश- विदेश में दे रहे सेवाएं

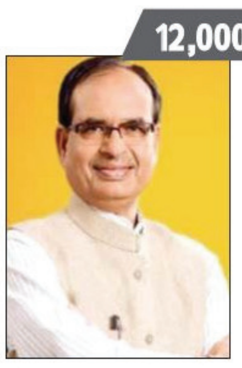

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

डॉ. श्रीनिवास राव ने बताया कि अब तक संस्थान के 12,000 से अधिक छात्र देश-विदेश में कृषि क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। शोध के वातावरण को सुदृढ़ करते हुए विद्यार्थियों को ऐसे शोध विषयों के चयन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच किसानों को उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हों।उन्होंने कहा कि देश के लगभग 70 प्रतिशत कृषि वैज्ञानिक आईसीएआर संस्थानों से ही निकलते हैं और कृषि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आईसीएआर देश में अग्रणी स्थान रखता है।

शैक्षणिक कार्य के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया

डीन डॉ. अनुपमा सिंह ने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक कार्य के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण

भी दिया जाता है जिससे विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करते ही ज्ञान एवं कौशल से संपन्न हो सकें। संस्थान में एक पृथक प्लेसमेंट सेल सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है तथा स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां के छात्र-छात्राएं सरकारी संस्थानों में नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं।

न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा०प्र० क्र०/अ–2/2025–26

– ईश्तहार

- एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम पंचायत ओड़गी/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद जिला सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि श्री बिरेन्द्र कुमार पिता/पति श्री बोलो निवासी ओड़गी के द्वारा अपने स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा नं0 430/2 रकबा 0.06 हे० जो ग्राम ओड़गी तहसील ओड़गी जिला सूरजपुर में स्थित है के आवासीय भू-परिवर्तन (डायवर्सन) हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका निगम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकरण में नियत दिनांक 20/02/2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 06/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलय की मुद्रा से जारी किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)

भैयाथान जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र ब/121 वर्ष

ग्राम – केवरा प.ह.न. 12

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बब्लू पिता धरमसाय जाति गोड़ निवासी ग्राम केवरा प.ह.न 12.रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के बाबा स्व.धीरन आ0 मोती का मृत्यु दिनांक 20/04/2013 को ग्राम केवरा में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने बाबा स्व.धिरन का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत केवरा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 16/02/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।आज दिनांक 27/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार तहसील

भैयाथान जिला सूरजपुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम डकई को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिपीन गुप्ता आ० अम्बिका प्रसाद गुप्ता, जाति सौण्डिक, निवासी शिवधारी कॉलोनी, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम डकई, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 263/2 रकबा 0.603 हे0 में से रकबा 0.400 हे० भूमि को कृषि भिन्न से औद्योगिक प्रयोजन व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19/02/2026 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी

(रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम डकई को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिपीन गुप्ता आ० अम्बिका प्रसाद गुप्ता, जाति सौण्डिक, निवासी शिवधारी कॉलोनी, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम डकई, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) स्थित खसरा नंबर 263/1, 263/2, 264/2. 265/2 रकचा क्रमशः 0.121, 0.603, 0.170, 0.284 हे0 में से रकबा क्रमशः 0.121, 0.203, 0.170, 0.284 हे० भूमि को कृषि भिन्न से औद्योगिक प्रयोजन व्यपवर्तन कराने के लिए बी-1, खसरा, रजिस्ट्री इत्यादि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो. तो निर्धारित सुनवाई तिथि 19/02/2026 को मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं आज दिनांक 10/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी

(रा.) धौरपुर, जिला सरगुजा

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र० /अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रजनी यादव पिता बनारसी राम जाति बरगाह निवासी दहोद मार्ग सांई मंदिर के पास कालिया वाब, भवरा अली राजपुर (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम असोला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 562/12, रकबा 0.012 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक .12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा).

अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा

रा०प्र०क्र०–/अ–20(1)/2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कार्तिक कुमार सिंह आ० ललन सिंह, निवासी एस०बी०आई (कलेक्टोरेट शाखा के पीछे) देवीगंज वार्ड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि मोहल्ला खुटेनपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 372/2, 373/2, 375/4 कुल रकबा 07 डिस्मिल भूमि की लीज समाप्ति तिथि 31.03.2026 है। जिसके नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-18/02/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।नियत्त तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र०/अ –2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवभरोस कुजूर आ० जगसाय कुजूर जाति उरांव निवासी बनेया तहसील सीतापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम भगवानपुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 264/30, रकबा 0.020 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, सेटलमेन्ट, ले-आउट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को ₹मेरे न्यायालय ₹में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख' के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक .12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),

अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०)

ईश्तहार

रा०प्र०क्र० /अ–2/2025–26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जीशासन अहमद खान पिता जकी अहमद खान जाति मुसलमान निवासी भकुरा तहसील अम्बिकापुर जिला खरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम भकुरा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 848 रकबा 0.344 हे० भूमि को कृषि भिन्न व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, ले-आउट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 20/02/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी

अंबिकापुर

रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को बनायेंगे अधिक सशक्त : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।इस दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के नए गायन संस्करण का पेन ड्राइव लॉन्च किया। मुख्यमंत्री साय ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को को इस खास आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का विषय ह्यरेडियो और एआई अत्यंत सामयिक और उपयोगी है। सूचना क्रांति के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक जनोपयोगी बनाने पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत प्रभावी रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। निजी चैनलों के बीच तेजी से खबरें देने की प्रतिस्पर्धा के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना परंपरा को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है।उन्होंने रेडियो से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि जब दूरस्थ गांवों तक किसी अन्य माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब रेडियो ही देश-दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी आज भी विशेष भूमिका निभा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ह्यमन की बात जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम के लिए रेडियो का चयन इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दशार्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के छह स्टेशन संचालित हैं तथा रायपुर से विविध भारती सेवा प्रसारित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्यरेडियो और एआई संचार के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। एआई की मदद से कंटेंट को अधिक प्रभावी, सटीक और त्वरित बनाया जा सकता है। आपातकालीन सूचनाएं, मौसम पूवार्नुमान, कृषि सलाह और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक तेजी और सटीकता से प्रसारित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि

छत्तीसगढ़ डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल तकनीक के जरिए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी भाषाओं में प्रसारण से स्थानीय जुड़ाव मजबूत हुआ है और श्रोताओं की रुचि में वृद्धि हुई है। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और अधिक सशक्त बनाएंगी और विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प सभी के सहयोग से अवश्य साकार होगा। कार्यक्रम में यूनेस्को के रीजनल एडवाइजर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सुश्री हज्जाज मा'अली ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पहुंच रखता है और सबसे अधिक भरोसे वाला माध्यम है।रेडियो ने कठिन समय में भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए दुनिया को सही सूचनाएं प्रदान की। सुश्री अली ने कहा कि एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और इस दिशा में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में पूरे प्रदेश विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं दे रहा है। सुश्री अली ने कहा कि यूनेस्को रेडियो के विस्तार के लिए आकाशवाणी के साथ मिलकर नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर लगातार सहयोग करेगा।

छत्तीसगढ़ मना रहा महतारी गौरव वर्ष मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को दी जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर।छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से सौजन्य भेंट कर प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं भावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस अवसर पर अवगत कराया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 को ह्यमहतारी गौरव वर्ष के रूप में

मनाने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य माताओं और बहनों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्वावलंबन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी मानते हुए योजनाओं को और अधिक प्रभावी स्वरूप दे रही है। बैठक में मातृशक्ति सशक्तिकरण, पोषण अभियान की प्रगति, बाल संरक्षण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं के उन्नयन तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन जैसे विषयों पर सकारात्मक एवं परिणाममुखी विचार-विमर्श हुआ। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ में संचालित नवाचारों, जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों तथा हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की।

खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त माध्यम बनी सरगुजा ओलंपिकः मंत्री नेताम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम गुरूवार को तीन दिवसीय जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक के समापन समारोह हुए। समारोह स्थानीय स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान में संपन्न हुआ। 10 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित इस तीन दिवसीय इस खेल महोत्सव ने ग्रामीण और शहरी अंचलों के खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभाओं प्रदर्शन किया। उन्होंने समापन समारोह के अवसर पर कहा कि सरगुजा ओलंपिक खेल प्रतिभाओं को निखारने को एक सशक्त माध्यम

बनी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से विशेष रूप से आदिवासी अंचल के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्होंने चयनित सभी खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास कर संभाग एवं राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी। सरगुजा ओलंपिक में 67,380 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मंत्री नेताम ने इस मौके पर खेल मैदान में उतर कर खिलाडियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शंकरगढ़ एवं बलरामपुर के मध्य हो रहे बालिका रसाकस्सी प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया।इस दौरान तीरंदाजी प्रतियोगिता का अवलोकन करते हुए स्वयं भी तीरंदाजी में हाथ आजमाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को मंत्री श्री रामविचार नेताम ने शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया। समापन समारोह में पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य कृष्णा गुप्ता, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष लोधीराम एक्का, उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भानूप्रकाश दीक्षित सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, वनमण्डलाधिकारी आलोक वाजपेयी, जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर व बलरामपुर एसडीएम अभिषेक गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी एम.आर. यादव, जिला खेल अधिकारी मारकूस कुजूर, संबंधित अधिकारीगण एवं खिलाड़ी तथा आमनागरिक मौजूद थे।जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय ओलंपिक में खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप हो सभी गतिविधियों का संचालन : मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई।बैठक में बोर्ड की 15वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा नवीन एजेंडों पर चर्चा उपरांत प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णय हेतु प्रेषित करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वन्यजीव हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और उनके संरक्षण-संवर्धन के लिए सामूहिक

प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी, अवैध गतिविधियों पर रोक तथा उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही, वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।मुख्यमंत्री ने न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हुए अत्यावश्यक कार्यों को ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बिना किसी छेड़छाड़ के पूर्ण करने पर बल दिया।उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सभी गतिविधियों के संचालन की बात कही। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के गठन को मंजूरी दी गई। स्थायी समिति का गठन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे।उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर राज्य वन्यजीव बोर्ड का अभिमत अनिवार्य होता है। बोर्ड की बैठकों के बीच अधिक अंतराल के कारण प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब की स्थिति बनती है। स्थायी समिति के गठन से वैधानिक मंजूरियों के त्वरित निपटान तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी।

गुरुकुल परंपरा एवं नैतिक शिक्षा के समन्वय पर बलः रूपनारायण सिन्हा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों एवं शिष्टाचार का समावेश अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल परंपरा की मूल भावना को अपनाते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना समय की आवश्यकता है। उक्त विचार रूपनारायण सिन्हा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा पीएमश्री प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला अखरा (पाटन), जिला दुर्ग के वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए गए।श्री सिन्हा ने कहा कि पीएमश्री

विद्यालय की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधायुक्त, गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र शिक्षा प्रदान करना है। इस पहल के अंतर्गत शिक्षा के साथ-साथ संगीत, खेल एवं योग जैसी गतिविधियों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र वर्मा द्वारा की गई। अतिथियों का शाला प्रबंधन समिति द्वारा पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया।वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, योगासन एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रभावी प्रस्तुति दी।

आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को सरगुजा ओलंपिक से मिल रहा सशक्त मंच : रामविचार नेताम

जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए आदिम जाति विकास मंत्री

महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों ने जूनियर व सीनियर वर्ग में 12 खेलों में दिखाया दम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आदिम जाति विकास तथा कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में बलरामपुर में जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का समापन हुआ। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इस तीन दिवसीय आयोजन में खेल प्रतिभाओं के उत्साह, कौशल और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। राज्य में पहली बार आयोजित सरगुजा ओलंपिक ग्रामीण और शहरी खिलाड़ियों को

अपनी क्षमता और खेल कौशल प्रदर्शित करने का अच्छा मंच प्रदान कर रहा है। इसके जिला स्तरीय आयोजन के समापन में बलरामपुर पहुंचे आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। वे शंकरगढ़ और बलरामपुर की टीमों के बीच हो रहे बालिका रस्साकसी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे और प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता भी देखा और स्वयं तीरंदाजी में हाथ आजमाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को शील्ड और मेडल प्रदान किए। सरगुजा ओलंपिक के जिला स्तरीय आयोजन के समापन के अवसर पर श्री नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि विकासखंड से लेकर जिला स्तर तक सरगुजा ओलंपिक का सुनियोजित एवं व्यवस्थित आयोजन सराहनीय है। सरगुजा ओलंपिक खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच बन रहा है। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी अंचल के युवाओं को मिल रहे इस अवसर की महत्ता रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास कर संभाग एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। समापन समारोह में बलरामपुर के कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, वनमंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कृष्णा गुप्ता, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष लोधीराम एक्का, उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी एम.आर. यादव और जिला खेल अधिकारी मारकूस कुजूर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और खेलप्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

इन खेलों में दिखा रहे कौशल

सरगुजा ओलंपिक में सरगुजा संभाग के सभी 32 विकासखंडों के खिलाड़ी 12 खेलों में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें 5 व्यक्तिगत स्पधाएं और 7 दलीय खेल हैं।व्यक्तिगत स्पधाओं में एथलेटिक्स (100, 200, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, 400 मीटर रिले), तीरंदाजी (इंडियन राउंड), बैडमिंटन, कुश्ती और कराटे शामिल रहे। वहीं दलीय खेलों में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी और बास्केटबॉल शामिल हैं। सभी प्रतियोगिताएं जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष, बालक/बालिका) तथा सीनियर वर्ग (18 वर्ष से अधिक, महिला/पुरुष) में आयोजित की जा रही हैं।

हमर स्वस्थ लइका कार्यक्रम से 16 सप्ताह में अति कुपोषण से सामान्य श्रेणी में पहुंची हिमांशी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य शासन की पोषण संवर्धन पहल के तहत संचालित हमर स्वस्थ लइकाह्व कार्यक्रम ने एक और सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत किया है। जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के मोहला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र मोहला-बी में पंजीकृत बालिका हिमांशी कोवाची, जो पूर्व में अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में चिन्हित की गई थी, 16 सप्ताह के विशेष पोषण प्रबंधन के पश्चात अब सामान्य श्रेणी में आ गई है। प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण में हिमांशी का वजन मात्र 9.2 किलोग्राम दर्ज किया गया था, जो उसकी आयु के अनुरूप अत्यंत कम था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल हमर स्वस्थ लइकाह्व कार्यक्रम अंतर्गत विशेष निगरानी में पंजीकृत किया गया। बालिका की माता श्रीमती कनक कोवाची ने डाइट कैलेंडर का नियमित पालन

करते हुए बच्चे के आहार में दाल, हरी सब्जियां, अंडा एवं दूध जैसे पोषक तत्वों को शामिल किया। साथ ही पूरक पोषण आहार (टेक होम राशन) का समय पर उपयोग एवं स्वच्छता संबंधी सावधानियों को दिनचर्या में सम्मिलित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नियमित गृह भ्रमण, मासिक वजन मापन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।16 सप्ताह तक सतत निगरानी एवं समन्वित पोषण प्रबंधन के परिणामस्वरूप हिमांशी का वजन 9.2 किलोग्राम से बढ़कर 11.50 किलोग्राम हो गया। उसकी सक्रियता एवं भूख में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया और वह अति गंभीर कुपोषण श्रेणी से बाहर आ गई। यह उदाहरण दशार्ता है कि समय पर पहचान, अभिभावकों की सजगता, आंगनबाड़ी कार्यकताओं की सतत निगरानी एवं टेक होम राशन जैसी पोषण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कुपोषण की समस्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया जा सकता है।

विदाई समारोह में स्टंट पर रोक, डीईओ ने जारी किए सख्त निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। विद्यालयों में विदाई समारोह एवं अन्य आयोजनों के दौरान विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे जोखिम भरे कृत्यों पर अब सख्ती बरती जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर ने इस संबंध में जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि कुछ विद्यालयों में विदाई समारोह अथवा अन्य अवसरों पर छात्र-छात्राएं चलती वाहनों से बाहर निकलकर स्टंट करना, दोपहिया वाहनों को तेज गति से चलाना अथवा अन्य खतरनाक गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे कृत्य बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। डीईओ ने स्पष्ट किया कि किशोरावस्था में उत्साह और रोमांच की भावना स्वाभाविक है, किन्तु इन गतिविधियों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना भविष्य को प्रभावित कर सकती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत बच्चों के जीवन एवं सुरक्षा की रक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि विद्यालय में विदाई समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना विद्यालय प्रबंधन को देना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के संचालन हेतु स्पष्ट प्रोटेकॉल बनाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोजन अनुशासित ढंग से संपन्न हो और किसी भी प्रकार की जोखिमपूर्ण गतिविधि न हो।

इसके अलावा अन्य अवसरों पर भी ऐसे कृत्यों को रोकना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। किसी घटना की स्थिति में संबंधित विद्यालय से जवाब-तलब किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। डीईओ ने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध कराएं बेहतर सुविधाएं, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : जयवर्धन

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के कार्यों की कलेक्टर ने ली संयुक्त समीक्षा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शुक्रवार को यहां जिला संयुक्त कार्यालय सभागार में कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं, पोषण कार्यक्रम, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए भवन मरम्मत कराने, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा रेडी-टू-ईट आहार का मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र समय पर नहीं खुलने या सुविधाओं में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र नहीं खोले जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही केंद्रों के संचालन की स्थिति एवं रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। बैठक में

बाल विवाह रोकथाम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि इस कानून के उल्लंघन पर दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।पोषण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कुपोषित एवं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की जानकारी ली गई और विभागों को समन्वय के साथ कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन, सुकन्या समृद्धि योजना तथा नवा बिहान योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सभी हितग्राहियों के आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनवाने तथा बच्चों को शराब एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान किशोर न्याय बोर्ड की गतिविधियों की भी जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओ की जानकारी ली। इस दौरान हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी मामलों, एनीमिया पीड़ित मरीजों, रक्त आधान आवश्यकता, सोनोग्राफी सुविधा, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उपायों पर चर्चा की गई। गर्भवती महिला पंजीयन, परिवार नियोजन जागरूकता एवं नसबंदी लक्ष्य अनुसार कार्य करने को कहा गया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, टीकाकरण, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, गैर संचारी रोग रोकथाम, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा कायाकल्प कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त जिलास्तरीय अधिकारी एवं चिकित्सक सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।

ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। छोटी बहन को स्कूल लेने जा रहे भाई की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत कुंजनगर निवासी संतोष सोंधीया का इकलौता 20 वर्षीय पुत्र प्रवीण सोंधीया शुक्रवार की शाम स्कूल छुट्टी होने पर अपनी छोटी बहन पायल को लेने अपने ग्लैमर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 सीआर 8792 में जयनगर स्वामी आत्मानंद स्कूल जा रहा था। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर ग्राम पंचायत जयनगर में इस्लाम खान के घर के सामने ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी 5557 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवक को टक्कर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर जयनगर पुलिस मौके पर पहुंच शव पंचनामा उपरांत पीएम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिश्रामपुर मर्चुरी में शव को रखवा दिया गया है। मामले में पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

महाशिवरात्रि पर शहर में निकलेगी भगवान शिव की बारात

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वरिष्ठ नागरिक संघ के

द्वारा बाजे गाजे के साथ बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर संघ के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। वरिष्ठ नागरिक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि रविवार को महा शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सायं 3 बजे शहर के भैयाथान रोड स्थित पंच मंदिर से भगवान शिव जी की बारात बाजे गाजे के साथ धूमधाम से निकाली जायेगी, जो मेन रोड राम मंदिर, एवं वकील कालोनी शिव मंदिर होते हुए केतका रोड स्थित शिव मंदिर तक पहुंचेगी। जहां विविध धार्मिक आयोजन सम्पन्न होंगे। संघ ने उक्त धार्मिक आयोजन में सभी से शामिल होने का आग्रह किया है।

'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान'' अंतर्गत जिला स्तर पर हुई क्विज प्रतियोगिता

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हुआ आयोजन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर के तत्वाधान में कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक एस. जयवर्धन एवं जिला परियोजना संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के निर्देशन, जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा एवं जिला मिशन समन्वयक मनोज कुमार साहू के मार्गदर्शन तथा सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा शोभनाथ चौबे के नेतृत्व में जिला स्तरीय राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन यहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन एवं गणितीय कौशल का विकास करना रहा। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकासखंडों, विद्यालयों से चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्विज

प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, गणितीय तर्कशक्ति, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग तथा समसामयिक वैज्ञानिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यह प्रतियोगिता दो स्तरों पर आयोजित की गई माध्यमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में प्रथम स्थान सूरजपुर ने प्राप्त किया एवं रामानुजनगर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वहीं सीनियर वर्ग में प्रतापपुर ने प्रथम एवं प्रेमनगर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु किया जाएगा।

कार्यक्रम में आशीष पाण्डेय, सुनील कुमार चक्रधारी, कीर्ति कौशल दुबे, सुमन वर्मा, गोपाल सिंह, ईश्वर सिंह, सुदर्शन सिंह एवं योगेश चंद्राकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का गुरुवार को निरीक्षण कर कलेक्टर

एस. जयवर्धन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान विकासखंड रामानुजनगर अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर बिशुनपुर, पस्ता एवं नारायणपुर तथा विकासखंड प्रेमनगर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर नवापारा कला का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई, पंजीयन व्यवस्था एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर उपस्थित रहे।

पुनर्वास प्रक्रिया पारदर्शी, संवेदनशील एवं नियमानुसार हो : कलेक्टर

महामाया ओसीपी परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास हेतु जिला समिति की हुई बैठक

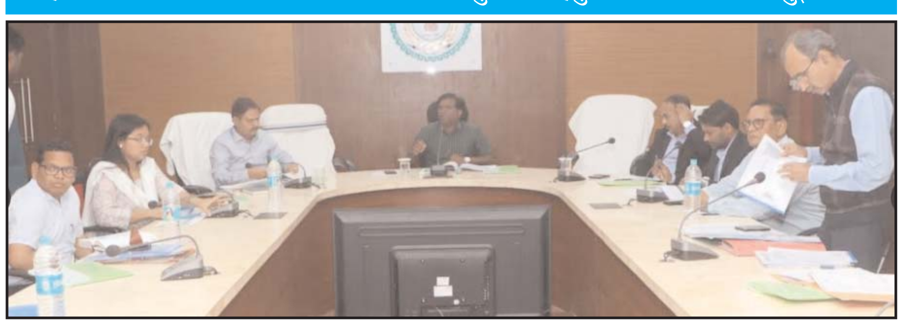

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। एसईसीएल भटगांव क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित महामाया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए ग्राम कपसरा एवं बरौधी के प्रभावितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य महामाया खुली खदान परियोजना के लिए ग्राम जरही, कपसरा, सेधोपारा, दुरती एवं बरौधी के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रभावित व्यक्तियों को अधिग्रहित भूमि एवं मकानों का आंकलित समुचित मुआवजा, बसाहट हेतु प्रस्तावित स्थल पर भूखंड आबंटन अथवा भूखंड के स्थान पर एकमुश्त मुआवजा, नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि पुनर्वास प्रक्रिया पारदर्शी, संवेदनशील एवं नियमानुसार हो, ताकि परियोजना प्रभावित परिवारों को वर्तमान स्थिति के समकक्ष अथवा उससे बेहतर जीवनस्तर उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, एसईसीएल के अधिकारी, संबंधित ग्रामों के सरपंच, जनपद सदस्य एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली 23 को

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी दी है कि सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर और रायपुर के तत्वाधान में महिला सैन्य पुलिस के पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन 23 फरवरी 2026 को पुलिस ग्राउंड झिंझरी, कटनी (मध्यप्रदेश) में किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस भर्ती रैली में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वे महिला उम्मीदवार हिस्सा लेंगी, जिन्होंने पूर्व में आयोजित ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) उत्तीर्ण कर ली है। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल महिला उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच 24 फरवरी 2026 को सेना अस्पताल, जबलपुर में की जाएगी। भर्ती रैली में शामिल होने वाली योग्य महिला उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं, साथ ही उम्मीदवारों के ई-मेल पर भी भेजे गए हैं।

जिपं सीईओ ने ओड़गी के दूरस्थ ग्राम लांजित में लगाया आवास चौपाल

आवास निर्माण में आ रही दिक्कतों पर हितग्राहियों से की चर्चा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति को लेकर राज्य शासन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन व सीईओ जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में पीएम आवास ग्रामीण में निरंतर प्रगति आ रही है। शासन से प्राप्त लक्ष्यों को समयसीमा में पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे है। ग्राम पंचायतों में चल रहे कामों का अवलोकन करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले शुक्रवार की जनपद पंचायत ओड़गी के दूरस्थ ग्राम पंचायत लॉन्जित पहुंचे थे। जहां पीएम आवास की वस्तुस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवास चौपाल का आयोजन किया गया था। जिपं सीईओ ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सूना और समस्या के निराकरण हेतु उपस्थित संबंधितो को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। आवास बनने में आ रही दिक्कतों को चिन्हित कर, संबंधितो को आवश्यक व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही सीईओ श्री पाटले ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि आवास निर्माण के लिए यह समय सबसे उत्तम समय है। सभी हितग्राही काम को अविलंब पूर्ण करके समस्त किस्त प्राप्त कर लीजिए। सीईओ जिला पंचायत ने कार्यालय जनपद पंचायत ओड़गी के विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। फाइलों का विधिवत संधारण करने से लेकर ऑनलाइन एंट्री एवं प्रगति के संबंध में संबंधित शाखा प्रभारी को निर्देशित किया गया। जनपद के अमले को गैप एनालिसिस कर योजनाओं में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त दौरे में जिला समन्वयक पीएम आवास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पीओ मनरेगा, बीसी आवास योजना एवं जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।

कोयला चोरों को पकड़ने जब खुद जीएम को संभालना पड़ा मोर्चा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की विभिन्न खदानों से इन दिनों बड़े पैमाने पर हो रही कोयला चोरी को लेकर प्रबंधन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय सिंह ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए त्रिपुरा स्टेट रायफल के जवानों के साथ खदान क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक आमगांव खदान पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में महिला-पुरुष खदान क्षेत्र के आसपास कोयला ले जाने की फिराक में पाए गए। हथियारबंद जवानों को देखकर कई लोग मौके से भाग निकले, जबकि कुछ ग्रामीणों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गए लोगों के पास से कोयला जब्त किया गया।

प्रबंधन ने संबंधित ग्रामीणों से लिखित माफीनामा लिया, जिसमें भविष्य में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने और कोयला चोरी जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होने का आश्वासन लेकर चेतावनी देते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय सिंह ने कहा कि कोयला चोरी से न केवल कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय संपत्ति की हानि भी है। साथ ही राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर राज्य के राजस्व पर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त नजर रखी जाएगी।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा
रा0प्र0क्र0 /अ–20/2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक राजेश कुमार अग्रवाल आ० स्व० टेकचन्द्र अग्रवाल, निवासी भैयाथान रोड़ सूरजपुर, जिला सूरजपुर छ०म० के द्वारा शीट नम्बर–10 मोहल्ला मनीपुर, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4180/5, 4180/6, 4180/14, 4180/15, 4180/17, 4180/19 4180/20, रकबा 0.07 एकड, 300.5, 645, 2100, 1102, 840, 215 वर्गफीट भूमि को बैंक में बंधक रखने की अना. पत्ति हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। उक्त भू–खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा–आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 20/02/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय–सीमा के बाद प्राप्त दावा–आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 06/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. 202602020700157/ ब–121/2025–26

प्रस्तावित नक्शा का अंतिम ईश्तहार प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा.प्र.क्र. 202602020700157/ ब–121/2025–26 सुक्रिता कुर्रे प्रति छ.ग. शासन में ग्राम केशवपुर स्थित खसरा नबर 158/7 रकबा 0.020 हे. भूमि का नक्शा बटांकन कर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से मंगाया गया। जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त नक्शा बटांकन में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06.03.2026 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. 202602020700158/ ब–121/2025–26

प्रस्तावित नक्शा का अंतिम ईश्तहार प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा.प्र.क्र. 202602020700158/ ब–121/2025–26 यशु दास सिंह प्रति छ.ग.शासन में ग्राम केशवपुर स्थित खसरा नबर 339/11 रकबा 0.032 हे. भूमि का नक्शा बटांकन कर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से मंगाया गया। जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त नक्शा बटांकन में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06.03.2026 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सुनीता गुप्ता, पति स्वर्गीय राम अवधेश गुप्ता, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम–तेलईकछार (केनपारा), थाना–जयनगर, तहसील लटोरी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), शपथपूर्वक यह कथन करती हूँ कि मेरा पुत्र अमन गुप्ता कार्मेल कॉन्वेंट इंग्लिश माध्यम विद्यालय, विश्रामपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में अध्ययनरत रहा है तथा उसे कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक की शैक्षणिक अंकसूचियाँ प्रदान की गई हैं।

मेरे पुत्र अमन गुप्ता के विद्यालय में दाखिले के समय त्रुटिवश पिता का नाम Ramawadesh Gupta दर्ज हो गया है, जबकि सही पिता का नाम Ram Avdhesh Gupta है, जो उसके आधार कार्ड में भी दर्ज है। अतः मेरे पुत्र अमन गुप्ता की कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक की समस्त शैक्षणिक अंकसूचियों में पिता के नाम Ramawadesh Gupta के स्थान पर सही नाम Ram Avdhesh Gupta अंकित किया जाए।

शपथकर्ता
सुनीता गुप्ता, पति स्वर्गीय राम अवधेश गुप्ता, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम–तेलईकछार (केनपारा), थाना–जयनगर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर
No. E/SA/Rectt/EDU/Cont. Teacher/-2026-27/E-64230 दिनांक: 09-02-2026

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी **अधिसूचना संख्या E/SA/Rectt./EDU/Cont. Teacher/2026-27/E-64230 दिनांक: 30-01-2026** के अनुसार, द. पू. म. रेलवे / बिलासपुर मंडल के शिक्षा विभाग हेतु सत्र 2026-27 के लिए संविदात्मक (Contractual) शिक्षकों के ज़रिए खाली पदों को भरने के संबंध में एक अधिसूचना जारी किया गया था। जिसमें द. पू. म. रेलवे / एम. एच. एस./शहडोल स्कूल के 17 रिक्त पदों (TGT और PST पद के लिए) को भरने लिए **दिनांक 27-02-2026** को वॉक-इन-इंटरव्यू किया जाना तय था।

जो की अब प्रशासनिक कारणों से ऊपर बताया गया वॉक-इन-इंटरव्यू को सक्षम अधिकारी द्वारा **दिनांक 20-03-2026 को द. पू. म. रेलवे / एम. एच. एस. / शहडोल में किया निर्धारित किया गया है।** इसलिए इच्छुक उम्मीदवार ऊपर बताए गए स्थान पर **सुबह 09.00 बजे से 10.00 बजे** के बीच रिपोर्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं।

नोट:- दिनांक 30-01-2026 को जारी अधिसूचना की अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

सहायक कार्मिक अधिकारी-I
सीपीआर/10/AM/690 द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर
South East Central Railway @secrail

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

महामाया ओसीपी परियोजना: कलेक्टर ने गांव में बैठक के दिए निर्देश

पुनर्वास पर मंथन के बीच बरौधी के ग्रामीणों ने जताई आपत्ति

छ.ग.फ्रंटलाइन भटगांव। एसईसीएल भटगांव क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित महामाया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट (ओसीपी) को लेकर पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना की प्रक्रिया अब संवेदनशील मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। जिला संयुक्त कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना समिति की बैठक में एक ओर प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, दूसरी ओर ग्राम पंचायत बरौधी के ग्रामीणों ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए सहमति देने से इंकार कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया। बैठक में परियोजना से प्रभावित ग्राम जरही, कपसरा, सेंधोपारा, दुरती एवं बरौधी के परिवारों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। अधिग्रहित भूमि एवं मकानों का आंकलित मुआवजा, प्रस्तावित बसाहट स्थल पर भूखंड आबंटन अथवा एकमुश्त मुआवजा तथा नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, संवेदनशील और नियमानुसार संचालित की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों को वर्तमान स्थिति के समकक्ष या उससे बेहतर जीवनस्तर मिल सके।

इसी दौरान ग्राम पंचायत बरौधी के ग्रामीणों ने ज्ञापन प्रस्तुत कर मुआवजा निर्धारण और पुनर्वास प्रक्रिया से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से उक्त भूमि पर आश्रित हैं और मुआवजा निर्धारण में वर्तमान बाजार मूल्य तथा भूमि की वास्तविक स्थिति का समुचित आंकलन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि पुराने दिशा-निर्देशों और पूर्व की परिस्थितियों के आधार पर मुआवजा तय करने की तैयारी की जा रही है, जो वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है। यह भी कहा गया है कि कई मामलों में राजस्व अभिलेखों और जमीन की वास्तविक स्थिति में अंतर है, इसलिए पहले वर्तमान स्थिति का सत्यापन कर नए सिरे से मुआवजा निर्धारण किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि सिंचित और असिंचित भूमि के आधार पर अलग-अलग दर तय की जाए, क्योंकि बड़ी मात्रा में भूमि सिंचित होने का दावा किया गया है।

ग्रामीणों ने पूर्व अधिग्रहण प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कुछ हितग्राहियों को न तो रोजगार मिला और न ही पूर्ण मुआवजा, जबकि भूमि का नामांतरण कर दिया गया। ऐसे मामलों की जांच कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। यह भी आग्रह किया गया कि सभी बिंदुओं का निराकरण होने तक पुनर्वास से जुड़ी कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए और संयुक्त समिति गठित कर राजस्व अधिकारियों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और एसईसीएल के अधिकारियों की सहभागिता से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। ग्रामीणों की मांग को जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान में लिया और अनुविभागीय दंडाधिकारी भैयाथान को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर ग्राम पंचायत बरौधी में बैठक आयोजित की जाए। बैठक में कलेक्टर स्वयं उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ समाधान की दिशा में चर्चा करेंगे।

बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, एसईसीएल के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित ग्रामों के सरपंच एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। महामाया ओसीपी परियोजना को लेकर अब प्रशासन और प्रभावित ग्रामीणों के बीच संवाद की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है। गांव में प्रस्तावित बैठक को अहम माना जा रहा है, जहां मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आगे की दिशा तय होने की संभावना है।

योग-प्राणायाम करके निकाली प्रभातफेरी, दिया स्वच्छता और नशामुक्ति का संदेश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अंतर्गत सात दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन की शुरूआत स्वयंसेवको ने योग, प्राणायाम से की। स्वल्पाहार के बाद सभी अपने परियोजना कार्य के अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर एवं विद्यालय परिसर की साफ-सफाई करते हुए नशामुक्ति के प्रति जागरूकता लाने गांव में प्रभातफेरी निकाले और लोगों को नशा से दूर रहने के लिए जागरूक किया। तत्पश्चात बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बी.के. संजू व सुनीता रहे।

अतिथियों ने नशामुक्ति एवं सामाजिक कुरीतियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि मानव में कई गुण होते हैं, इसमें सहनशक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। बुद्धिमत्ता सोचने-समझने, तर्क करने और सही-गलत का निर्णय लेने की क्षमता रखता है, करुणा दूसरों के दुख-दर्द को समझने और उनकी सहायता करने की भावना को सामने लाता है। प्रेम से परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति स्नेह और अपनापन की प्रवृत्ति, सत्यनिष्ठा से सच बोलने और ईमानदारी से जीवन जीने, धैर्य हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना और संयम बनाए रखना है। उन्होंने कहा दूसरों के साथ मिल-जुलकर काम करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से कार्य करना है। नैतिकता हमें सही आचरण और अच्छे मूल्यों का पालन करना सिखाता है। आत्म-नियंत्रण अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का माध्यम है। तत्पश्चात सभी ने नशामुक्ति का शपथ लिया। महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक सविता यादव ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी, और आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम का समापन किया। स्वयंसेवकों ने गांव में घर-घर जाकर नशामुक्ति के लिए जागरूक किया। प्राचार्य डॉ. श्रद्धा मिश्रा, कार्यक्रम अधिकारी रासेयो रानी रजक ने सात दिवसीय विशेष शिविर के थीम स्वभाव स्वच्छता व संस्कार स्वच्छता पर प्रकाश डाला। इस दौरान महाविद्यालय से सहायक प्राध्यापक सविता यादव, सीमा बंजारे, पूजा रानी, अर्चना सोनवानी, गोल्डन सिंह, नितेश कुमार यादव, सुन्दर राम एवं स्वयंसेवकों की उपस्थिति रही।

पुलिस को देखकर जुआरी लगाने लगे दौड़, पुलिस ने 5 दोपहिया बरामद किया

दो आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई के बाद इस्तगासा न्यायालय में किया गया पेश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जुआ खेलने एवं खेलवाने की शिकायत पर दो लोगों के विरूद्ध पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, और 05 दोपहिया वाहन जप्त किया है। पुलिस को बाहर से जुआरियों को बुलाकर जुआ खेलवाने की शिकायत मिली थी। पुलिस टीम को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली एवं थाना गांधीनगर अंतर्गत ग्राम फतेहपुर सुखरी नाला के पास एवं अन्य जगहों पर जुआ खेलने एवं खेलवाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना कोतवाली एवं थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने जुआ खेलने के संभावित स्थल पर रेड कार्रवाई की, तो पुलिस टीम को दूर से आते देख आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने मौके से 05 दोपहिया वाहन जप्त किया है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने मामले मे कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने एवं खेलवाने की शिकायत पर 02 अनावेदक रविकांत जायसवाल पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल 39 वर्ष व दिवाकर तिवारी पिता कृष्णा तिवारी 33 साल, दोनों निवासी बौरीपारा शिकारी रोड के विरुद्ध 170/126, 135 (3) बीएनएसएस की कार्रवाई करके इस्तगासा न्यायालय में पेश किया है। जुआ एक्ट के मामलों में पुलिस टीम को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मृतक के मोबाइल से अज्ञात ने दी हलाल की सूचना, दूसरे दिन जंगल में मिला बालक का शव

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के प्रेमनगर थाना अंतर्गत गहुंआ भादा जंगल में 14 वर्षीय बालक का शव मिला। शरीर में मिले चोटों के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, और अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है। मृतक के हलाल होने और शव जंगल में पड़े रहने की सूचना मृतक के ही मोबाइल फोन से उसके मामा को मिली थी, इसके बाद स्वजन बालक के खोजबीन में जुटे और उसका लहूलुहान शव बरामद किया।

थाना क्षेत्र के ग्राम महोरा मंगलू राम ने पुलिस को बताया है कि 11 फरवरी की शाम को 04 बजे सूपा मोरा बेचने के लिए बकिरमा बाजार निकला था। शाम को करीब 5.15 बजे उसके बड़े पुत्र लालसाय (14) के मोबाइल से उसके साला मंगल साय के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि लालसाय हलाल हो गया है और वह गहुंआ भादा जंगल में पड़ा है। मंगल साय इसकी जानकारी मृतक के पिता को दिया, लेकिन बाजार में रहने के कारण वह कुछ समझ नहीं पाया। वापस गांव आने पर जब लड़के के हलाल होने संबंधी जानकारी मिली तो वह परिजनों और गांव के लोगों के साथ गहुंआ भादा जंगल जाकर लालसाय की खोजबीन किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अंधेरा होने के कारण सभी वापस घर आ गए। दूसरे दिन 12 फरवरी को सुबह गांव से 20-25 लोगों के साथ जब वे गहुंआ भादा जंगल में खोजबीन किए तो लालसाय का शव जंगल में पुल के पास भादा की ओर जाने वाले पगडंडी रास्ता के किनारे पेट के बल पड़ा हुआ था। लड़के के गला में चोंट का निशान था और खून सिर के पास से थोडी दूर तक बहकर सूख गया था। जांच, विवेचना कार्रवाई के दौरान मृतक के पिता ने पुलिस को बताया है कि उसका किसी से विवाद नहीं है, जमीन बंटवारा को लेकर विवाद बड़े भाई से चल रहा है। रिपोर्ट पर पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके अग्रिम जांच, कार्रवाई में जुट गई है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0
रा.प्र.क्र. अ/20(1)/2024 25
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अम्बिकापुर द्वारा अपने पत्र क्र./पुमनि/सर/एसी/एम/448/ 2025 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से लेख किया गया है कि न्यायालय अपर कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर के राप्रक 02/31-20(1)/03-04 एवं नजूल का रा.प्र.क्र. 23/अ-20(1)/02-03 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 के पृष्ठांकन क. 48/वाचक/अपरे कले. /03 अम्बिकापुर दिनांक 30.10.03 के माध्यम से मेंटनेंस ख.क्र. 1857 रकबा 3.77 एकड़ भूमि में से 0.70 एकड़ भूमि पुलिस अधीक्षक सरगुजा को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भवन निर्माण हेतु आबंटित किया गया है। राजस्व अभिलेख (नजूल) शीट नंबर 04 अम्बिकापुर बौरीपारा में 1857/2 रकबा 0.70 एकल भूमि वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भवन निर्माण से अकित है। कार्यालय सरगुजा रेंज के विस्तार हेतु मिटिंग कक्ष एवं गार्ड रूम के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने के कारण पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज कार्यालय के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि का आबंटन की मांग की गई है। अंत: उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाक 23/02/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/02/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

पत्थर की ठोकर से गिरकर मुंह के बल गिरी महिला, इलाज दौरान मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पत्थर से ठोकर लगने पर गिरकर चोटिल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक जशपुर जिला के बगीचा थाना अंतर्गत ग्राम जबला माझापारा की एतवारी बाई पति मोहन राम नागवंशी 56 वर्ष, 11 फरवरी को ग्राम हर्राडांड से अपने पुत्र नेहर साय और पुत्री मंजूलता के साथ मोटरसायकल से वापस घर आ रही थी। ग्राम जोगबहला में लघुशंका के लिए पुत्र को मोटरसायकल रोकने के लिए बोली। मां-बेटी लघुशंका के लिए जा रहे थे, इसी दौरान जमीन पर पड़े पत्थर से लगी ठोकर में एतवारी बाई मुंह के बल गिर गई और उसके नाक से खून निकलने लगा। इसके बाद पुत्र-पुत्री अपनी मां को मोटरसायकल में बैठाकर घर ले गए, और स्थिति सामान्य लगने के कारण अस्पताल नहीं ले गए थे। रात में अचानक तबियत बिगड़ने पर स्वजन बगीचा स्वास्थ्य केन्द्र महिला को लेकर पहुंचे, यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराए थे, यहां इलाज के दौरान शाम 7.30 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

किराएदारों के घर के दरवाजे को बाहर से किया बंद, फिर दुकान में घुसकर की चोरी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। किराएदारों के मकान को बाहर से बंद करके चोर इलेक्ट्रिक दुकान में घुसा और 45 किलो कॉपर वायर, बेयरिंग बोरी में भरकर ले गया। चोर की करतूत सीसीटीव्ही में कैद हो गई है। पुलिस मामले में अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक ब्रह्म रोड पंचशील गली में स्थित अभय भवन निवासी अभय केशरी पिता सिद्धनाथ प्रसाद केशरी का इंडियन इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, जहां मोटर बाइंडिंग का काम होता है। पास ही मकान में अखिलेश गुप्ता और नरमुल हसन किराए में रहते हैं। दो फरवरी को सुबह करीब 8.30 बजे किराएदार उठकर घर से बाहर निकलने को हुए तो दरवाजा बाहर से बंद था। इसकी जानकारी वे मकान मालिक को दिए। सीसीटीव्ही चेक करने पर पता चला कि एक व्यक्ति देर रात इलेक्ट्रिक दुकान के पार्टीशन को पार करके दुकान के अंदर घुसा, और दो बोरियों में कॉपर का वाइंडिंग तार और बेयरिंग भरकर ले गया, जिसका वजन 45 किलो और कीमत 45 हजार रुपये बताया गया है। चोरी की घटना को अंजाम देने के पहले उक्त व्यक्ति किराएदारों के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 331 (4), 305 (ए) का मामला दर्ज कर लिया है।

घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग, 5 लाख की क्षति

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। घर के बाहर खड़ी कार में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक प्रतापपुर नाका खालपारा निवासी प्रकाश गुप्ता 12 फरवरी की शाम को लगभग सात बजे अपनी कार क्रमांक सीजी 15 ईजी 1757 को घर के बाहर खड़ा करके सो रहा था। रात करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाले लोगों की नजर कार में लगी आग पर पड़ी, और उन्होंने इसकी जानकारी कार स्वामी प्रकाश गुप्ता को दी। पड़ोसियों की मदद से वे आग को बुझाने में सफल हो गए, लेकिन कार बुरी तरह से जल गई थी। घटना में कार स्वामी के द्वारा करीब 5 लाख रुपये क्षति पहुंचना बताया गया है। कार में आग कैसे लगी, यह अस्पष्ट है। कार स्वामी के द्वारा फिलहाल किसी पर आग लगाने जैसा संदेह भी व्यक्त नहीं किया गया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।

पेंशन प्रकरण लम्बित रहने से कई अधिकारी-कर्मचारी परेशान

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शासकीय विभागों में दशकों सेवा देने के बाद सेवानिवृत हुए कई कर्मचारियों और अधिकारियों का पेंशन प्रकरण लम्बित रहने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों का चक्कर काटते थक-हार चुके ऐसे ही कई पेंशनरों ने लंबित पेंशन कार्रवाई से क्षुब्ध होकर आर.टी.आई और सामाजिक कार्यकर्ता साधना कश्यप को अवगत कराया, ताकि उनकी बातें प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सके। डेढ़ दशक से सामाजिक समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराते आ रही आरटीआई कार्यकर्ता ने संभाग आयुक्त सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों तक इनकी बात आग्रह पत्र के माध्यम से पहुंचाते हुए पेंशनरों के प्रकरण लंबित रहने की जानकारी दी है। जबकि राज्य सरकार ने पूर्व में आदेश जारी किया है कि पेंशन प्रकरण का त्वरित निपटारा किया जाए, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, किसी का पेंशन प्रकरण अनावश्यक, चढ़ावा सिस्टम के लिए लंबित ना रखा जावे। इसके बाद भी बेदाग सेवानिवृत्त हुए सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण सिस्टम से बाहर लंबित है। आरटीआई कार्यकर्ता ने आग्रह किया है कि पेंशनरों की समस्या का निराकरण करने के लिए पेंशन प्रकरणों की समीक्षा साप्ताहिक, व्यक्तिवार, विभागवार की जाए ताकि समयसीमा में इनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, और वे पेंशन की राशि से अपने परिवार के बीच सम्मानपूर्वक जीवकोपार्जन कर सकें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर